

मैनुअल संख्या- 13

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टिया :-

जैसा कि मैनुअल के पूर्व प्रस्तारों में काफी विस्तार से उल्लेख किया जा चुका है राजस्व विभाग को विभागीय अधिकारों के साथ-साथ प्रशासकीय दायित्वों के अंतर्गत प्राधिकारों/अनुज्ञापत्रों एवं रियायतों को विभिन्न नियमों/अधिनियमों/उप नियमों के अंतर्गत दिए जाने की व्यवस्था है। इसी पृष्ठभूमि के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा विभागीय दायित्वों के अंतर्गत जन सामान्य की सुविधाओं तथा आवश्यकताओं को दृष्टिगत निम्नवत् रियायतें, अनुज्ञापत्र या प्राधिकार प्रदान किए जाते हैं।

1- पिटीशन राइटर का लाईसेंस :-

माननीय उच्च न्यायालय इलाहबाद के नोटिफिकेशन संख्या(करेक्शन स्लिप नंबर-34) 594/VC-51दिनांक 18-10-1968 के अनुसार भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 555 ए में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा कोर्ट कंपाउंड कलेक्टर एवं तहसील कोर्ट कंपाउंड के लिए निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले आवेदकों को जांचोपरान्त संतुष्ट होने पर पिटीशन राइटर का लाईसेंस स्वीकृत किया जाता है। निर्धारित शर्तों के उल्लंघन करने पर लाईसेंस निरस्त करने का अधिकार भी जिलाधिकारी को प्राप्त है। जनपद रूद्रप्रयाग में पिटीशन राइटर के 12 लाईसेंस स्वीकृत किए गए हैं। लाभार्थियों की सूची संलग्न- परिशिष्ट-1 पर है।

2- स्टाम्प वैन्डर का लाईसेंस :-

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के नियम 151 (ख) (10) के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा जनपद में स्टाम्प वैन्डरी कार्य हेतु अर्हता पूर्ण करने वाले आवेदकों को जांचोपरान्त संतुष्ट होने पर स्टाम्प वैन्डर का लाईसेंस स्वीकृत किया जाता है। निर्धारित शर्तों के उल्लंघन करने पर लाईसेंस निरस्त करने का अधिकार भी जिलाधिकारी को प्राप्त है। स्टाम्प वैन्डर के लाईसेंस को निर्धारित शुल्क जमा करने पर हर वर्ष नवीनीकृत किया जाता है। जनपद में कुल स्टाम्प बैन्डर के कुल 37 लाईसेंस निर्गत किए गए हैं। लाभार्थियों की सूची संलग्न-परिशिष्ट-2 पर है।

3- खनन अनुज्ञा पत्र/पट्टे :-

औद्योगिक विकास
अनुभाग-1
उत्तरांचल शासन,
देहरादून
सं0-168/VII-1/
197-ख/2005
दि04.2.2006

औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उत्तरांचल शासन देहरादून के शासनादेश संख्या-168 /VII-1/197-ख/2005 दि0 4.2.2006 के अनुसार उत्तरांचल खनिज नीति 2001 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत उप खनिजों के खनन/ चुगान के पट्टे सरकारी निगमों को जांचोपरान्त जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2005-06 में सीमा सड़क संगठन के कुल तीन खनन पट्टे तीन माह की अवधि हेतु निम्नवत् स्वीकृत किए गए हैं।

शासनादेश सं०-3498 /ओ०बी०-22ख / 2001 दिनांक 17-10-2002 के प्रस्तर सं०-2.10.1 के अनुसार सीमा सड़क संगठन को 1900 घन मीटर तथा 03 माह की अवधि के लिये उप खनिज चुगान / टिपान का खनन अनुज्ञा जारी किया गया है ।

| | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|----------|
| 1 | सीमा सड़क संगठन (ग्रेफ) गौचर | ग्राम-पटवारी क्षेत्र लमगौण्डी तहसील ऊखीमठ के स्थान कुण्ड में सिविल भूमि के ख०न०: 29 के खरा सं०-727 मध्ये 0.090 हे०, ग्राम परकण्डी ,तहसील ऊखीमठ के मन्दाकिनी नदी के समीप ख०खा सं०-06 के खसरा सं०-165 मध्ये 0.070 हे० सिविल भूमि तहसील रुद्रप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत मन्दाकिनी नदी के दक्षिणी/वांये तट पर खसरा सं०-01 मध्ये 0.060 हे० राज्य भूमि | 3 माह की अवधि के लिये | 35820-00 |
|---|------------------------------|--|-----------------------|----------|

औद्योगिक विकास
उत्तरांचल शासन,
देहरादून
सं०-3498 /ओ०
बि०-22ख / 2001
दि०17.10.02

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या- सं०-2885 /VII-1-06 / 74-ख / 2006 दिनांक 12-07-2006, शासनादेश सं०-2856 /VII-1-06 / 75-ख / 2006 दिनांक 12-07-2006, एवं शासनादेश सं०-5393 /VII-1-06 / 254-ख / 2006 दिनांक 22-12-2006, में निहित प्राविधानों के अनुसार निजी नाप भूमि के खनन प्रस्ताव अनुमति के लिए शासन की अनुमति उपरान्त शासन द्वारा स्वीकृत अवधि/क्षेत्रफल के लिए पट्टे/अनुज्ञापत्र जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किये गये हैं। जनपद में वर्तमान में कुल 03 खनन पट्टे/अनुज्ञापत्र स्वीकृत कर खनन पट्टा जारी किये गये है।

| क्र०सं० | खनन अनुज्ञा धारक/पट्टा धारक का नाम | स्वीकृत खनन पट्टा / अनुज्ञा पत्र का स्थान/ क्षेत्रफल | स्वीकृत पट्टे/ अनुज्ञा पत्र की अवधि | शुल्क |
|---------|--|---|-------------------------------------|----------|
| 1 | निजी नाप भूमि- श्री मोहनसिंह पुत्र श्री गौरसिंह ग्राम-रांसी (कण्डारा) तहसील ऊखीमठ | ग्राम-रांसी में ख०न०-55 के खसरा सं०-2300 मध्ये 0.024 हे० भूमि | 03 माह की अवधि अथवा 500 घन मीटर | 10500-00 |
| 2 | निजी नाम भूमि श्री कुंवरसिंह पुत्र श्री पुष्करसिंह ग्राम-गोदड़ा(रांसी),तहसील ऊखीमठ | ग्राम गोदड़ा (रांसी)में खाता सं०-55 के खसरा सं०-2300 मध्ये 0.024 हे० | 03 माह तक की अवधि या 500 घनमीटर | 10300-00 |
| 3 | श्री मूरसिंह पुत्र श्री बागसिंह ग्राम-गोदड़(रांसी)तहसील | ग्राम गोदड़ा (रांसी)में खाता सं०-55 के खसरा सं०-2300 मध्ये 0.045 हे० | 03 माह तक की अवधि या 1500 घनमीटर | 33300-00 |

| | | | |
|-------|--|--|--|
| ऊखीमठ | | | |
|-------|--|--|--|

जनपद में मुख्य खनिजों (सोपस्टोन/मैग्नासाइड) के प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस जारी नहीं किये गये हैं ।

शासनादेश सं०-
2588-एक-
4/सा०प्रशा० 2001
दि० 20.11.2001

4- स्थाई निवास प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना :-

सरकारी विभागों/ निगमों में नौकरी तथा शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश आदि प्रयोजनों के लिए आम लोगों/विद्यार्थियों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। उत्तरांचल शासन के सामान्य प्रशासन विभाग देहरादून के अध्यक्ष शासनादेश संख्या- 2588/एक-04/सा०प्रशा०/2001 दिनांक 20 नवंबर, 2001 के अनुसार शासनादेश में निहित प्राविधानों के अंतर्गत वर्तमान में शासनादेश के संलग्न पारूप पर स्थाई निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। शासनादेश संलग्न- परिशिष्ट - 3 पर है।

जनता की कठिनाईयों को मद्देनजर रखते हुए शासन के निर्देश पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ सभी उपजिलाधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को इस प्रयोजनार्थ जिला मुख्यालय आने हेतु अनावश्यक धन एवं समय व्यतीत न करना पड़े। उपजिलाधिकारियों द्वारा जांचोपरान्त आवश्यक औचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त ही स्थायी निवास प्रमाण पत्र निर्गत किए जाते हैं।

शासनादेश सं०-
1540/कार्मिक-
2/2002
दि० 29.3.2003

5- राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना :-

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व नागरिकों के पिछड़े अन्य वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (यथा अनुकूलित एवं संशोधित) की धारा 9 के अनुसार इन वर्गों के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट / उप जिलाधिकारी/ तहसीलदार को प्राधिकृत किया गया है। जनता एवं विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कार्मिक अनुभाग-2 उत्तरांचल शासन देहरादून के शासनादेश संख्या-1540 /कार्मिक-2/2002 दिनांक 29 मार्च, 2003 में दिए गए प्राविधानों के अनुसार जाति प्रमाण पत्र संबंधित तहसील के तहसीलदार द्वारा जांचोपरान्त संतुष्ट होने पर निर्गत किए जाते हैं, ताकि किसी भी आवेदक को असुविधा का सामना न करना पड़े और उन्हें प्रमाण पत्र उसी दिन सहजता से प्राप्त हो सके। शासनादेश संलग्न-परिशिष्ट-4 पर है।

शासनादेश सं०-
3428एमएस/23
-सा०नि-7 दि०
20 अक्टूबर, 1984

6- ठेकेदार को चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना :-

सार्वजनिक निर्माण अनुभाग-7 उत्तर प्रदेश लखनऊ के शासनादेश संख्या- 3428 एम०एस/23-सा०नि०-7 दिनांक 20 अक्टूबर 1984 के अनुसार लोक निर्माण विभाग तथा अन्य निर्माण विभागों में ठेकेदारों के पंजीकरण के लिए ठेकेदारों को जिला अधिकारी द्वारा शासनादेश के संलग्नक पारूप पर चरित्र प्रमाण पत्र दिए जाने का प्राविधान है। इसी शासनादेश के

प्राविधानों के अनुसार संबंधित ठेकेदारों के आवेदन पत्र की आवश्यक जांच पर चरित्र प्रमाण पत्र संबंधित तहसील के तहसीलदार से प्राप्त आख्या के आधार पर निर्गत किया जाता है। यह चरित्र प्रमाण छह माह के लिए वैध होता है शासनादेश संलग्न- परिशिष्ट- 5 पर है।

जनपद में अप्रैल 2006 से मार्च 2007 तक कुल 245 ठेकेदारों को चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत किए गए, जिनकी सूची संलग्न- परिशिष्ट-6 पर है।

गृह पुलिस अनुभाग
-5 उत्तर प्रदेश
सरकार अधिसूचना
सं0-जी0आई 26 आर
/छ: पु0-5-1262-
87 दि0 13.7.90
तथा
शासनादेश सं0- 2600
आर/छ:0 प0-5-1999
दि0 21.4.1999

7- शस्त्र लाईसेन्स जारी करना एवं उनका नवीनीकरण :-

आयुद्ध अधिनियम, 1959 एवं आयुद्ध नियमावली 1962 तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं अधिसूचनाओं में दिए गए निर्देशों के अनुरूप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नागरिकों को आत्म सुरक्षा/ खेती सुरक्षा/ विरासतन एवं अन्य प्रयोजनार्थ अनुज्ञापत्र जनपद/ राज्य की सीमा अंतर्गत विधिवत जांच करवाकर संतुष्ट होने पर निर्गत किए जाते हैं। इन शस्त्रों का नवीनीकरण हर तीन वर्ष में निर्धारित शुल्क एवं औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुए किया जाता है। किसी लाईसेन्सी के विरुद्ध ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर कि जिससे जन सुरक्षा अथवा शांति व्यवस्था को खतरा है अथवा लाईसेन्स में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तो नियमानुसार आग्नेयास्त्र के निलंबन/ निरस्तीकरण के बारे में अपेक्षित कार्यवाही कर लाईसेन्सिंग प्राधिकारी द्वारा लाईसेन्स को निरस्त किया जा सकता है। आलोच्य अवधि तक जनपद अंतर्गत कुल 123 शस्त्र लाईसेंस स्वीकृत हैं, जिनमें उत्तराखण्ड राज्य गठन से पूर्व 49 तथा उत्तराखण्ड राज्य गठन से अब तक 74 शस्त्र लाईसेंस सम्मिलित हैं।

7.2- सम्पूर्ण भारत वर्ष की सीमांतर्गत लाईसेन्स चाहने वाले आवेदक का प्रार्थना पत्र आवश्यक जांचोपरान्त जिलाधिकारी की संस्तुति सहित स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को संदर्भित किया जाता है।

7.3- विस्फोटक नियमावली के अंतर्गत निजी प्रयोजनों/सार्वजनिक प्रयोजनों एवं विकास से संबंधित कार्यों के लिए 5 किग्रा तक का विस्फोटक का अनुज्ञापत्र स्वयं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जा सकता है तथा जिला मजिस्ट्रेट की अनुसंसा पर संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक मध्यांचल आगरा द्वारा 5 कि0.ग्राम से अधिक विस्फोटक का अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया जाता है।

8- मोटर गाडी आदि वाहनों के अस्थाई परमिट :-

मोटर गाडी आदि वाहनों के रोड परमिट परिवहन विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। यदि किसी वाहन का परमिट किसी निश्चित सीमा तक

स्वीकृत है, लेकिन उसे किसी विशेष अथवा आवश्यक कार्य से परमिट की सीमा से बाहर जाना है तो परमिटधारी की तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-87 की उपधारा (1) के खंड (ग) में दिए गए प्राविधानों के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट अस्थायी परमिट स्वीकृत कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें शासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करना होता है। यह परमिट आवेदक के अनुरोध पर तीन दिन तक रू0-300-00, इससे अधिक अवधि के लिए रू0-300-00 प्रति तीन दिन की दर से तथा रू0-149-00 प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त शुल्क जमा करने पर जारी किया जाता है।

यह अस्थायी परमिट आवेदक के आवेदन पर विशेष प्रयोजनार्थ तथा शादी विवाह समारोह, गोष्ठियों में सम्मिलित होने, किसी सेमिनार में हिस्सा लेने आदि के लिए जारी किया जाता है। जनपद में इस वर्ष अब तक वाहनों के कुल 08 अस्थाई परमिट जारी किए गए हैं। शासनादेश संलग्न-परिशिष्ट-10 पर है।

शासनादेश संख्या
-4/3/ 82 का0
-2 /1997
दि026.12.1997

9- स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण प्राप्त करने हेतु आश्रित प्रमाण पत्र :-

शासनादेश संख्या- 7/2/72-कार्मिक-4 दिनांक 27.9.1972, शासनादेश संख्या- 6/2/1972 कार्मिक-2 दिनांक 21.11.1977 एवं संशोधित शासनादेश संख्या-4/3/ 82 का0 -2 /1997 दिनांक 26.12.1997 में दिए गए प्राविधानों के अनुसार (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के प्राविधानों से आच्छादित स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के आश्रितों जैसा कि उक्त नियम की धारा 2 के खंड (ख) में परिभाषित है के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी अर्थात् जिलाधिकारी द्वारा आश्रित प्रमाण पत्र निर्गत किए जाते हैं। जनपद में इस वर्ष 36 प्रमाण पत्र निर्गत किए गए। संबंधित अधिसूचना संलग्न- परिशिष्ट -11 तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों/आश्रितों की सूची संलग्न परिशिष्ट-12 पर है। इस वर्ष प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की सूची संलग्न परिशिष्ट-13 पर है।

10- केबिल सेवा की व्यवस्था की अनुमति :-

उत्तर प्रदेश केबिल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली 1997 के उपनियम-3 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना कोई व्यक्ति केबिल सेवा की व्यवस्था नहीं करेगा। कोई व्यक्ति, जो केबिल सेवा की व्यवस्था करने का इच्छुक हो, वह जिला मजिस्ट्रेट को उपनियम-2 के अधीन प्रपत्र-1 में आवेदन कर सकता है। जिला मजिस्ट्रेट आवेदन पत्र प्राप्त होने के दिनांक से 60 दिन के भीतर उप नियम-4 के अधीन आदेश पारित कर अनुमति प्रदान करते हैं। अनुज्ञप्ति की समय सीमा समाप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारक के नवीनीकरण हेतु आवश्यक जांचोपरान्त आगामी तीन वर्षों के लिए अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण किया जाता है। जनपद रुद्रप्रयाग में अब तक

उत्तर प्रदेश
केबिल टेलीविजन
नेटवर्क नियमावली
1997

केबिल नेटवर्क आपरेटर के 37, वीडियो सी0डी0 लाइब्रेरी के 13, अस्थाई वीडियो सिनेमा के 6, अस्थायी छविगृह सिनेमा के 1 लाईसेंस स्वीकृत हैं। संबंधित नियमावली संलग्न- परिशिष्ट- 14 पर है।

11- आबकारी अधिनियम के अंतर्गत जारी किए जाने वाले लाईसेन्स :-

उत्तर प्रदेश आबकारी मैनुअल (संस्करण 1994) के नियम 650 (पुष्ट388) में दी गई व्यवस्था के अनुसार कलेक्टर द्वारा अपने जनपद में स्थित सैन्य कैंटीनों एवं भारत तिब्बत सीमा पुलिस की कैंटीनों को निर्धारित शुल्क जमा करने पर रियायती दरों पर विदेशी मदिरा के भंडारण/उपयोग हेतु प्रपत्र एफ0एल0-9 ए तथा पूर्ण दर का लाईसेन्स प्रपत्र एफ0एल0 9 पर कुल 04 लाईसेंस जारी किए गए हैं। लाईसेंस प्राप्तकर्ताओं का विवरण संलग्न परिशिष्ट 15 पर है।

11.1 उत्तर प्रदेश आबकारी मैनुअल संस्करण 1994 तथा उत्तराखण्ड शासन देहरादून की अधिसूचना संख्या-370/ 23/06/ 115 /2005 दि0 6 मार्च, 2006 में दी गई व्यवस्थानुसार जनपद रुद्रप्रयाग में दिनांक 18.6.2006 को विदेशी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन की कार्यवाही लाटरी पद्धति से करवाई गई, जिसमें जनपद की 03 दुकानों के लिए लाटरी निकाली गई। तत्पश्चात उन्हें जिलाधिकारी द्वारा अनुज्ञापत्र एफ0एल0 5-डी जारी किए गए। विदेशी मदिरा दुकानों तथा लाईसेंस प्राप्तकर्ताओं की सूची संलग्न परिशिष्ट 16 पर है।

परिशिष्ट-1

जनपद अन्तर्गत अभ्यर्थना लेखकों से सम्बन्धित विवरण ।

| क्र. सं. | अभ्यर्थना लेखकों का नाम | पता | कोर्ट कम्पाउण्ड जिसके लिये लाईसेंस जारी किया गया है । | लाईसेंस फीस वार्षिक |
|----------|--|--|---|---------------------|
| 1 | श्री कुजीलाल पुत्र हीरालाल ग्राम व पो0 ऊखीमठ । | ग्राम ऊखीमठ पो0 ऊखीमठ तहसील ऊखीमठ । | कोर्ट कम्पाउण्ड तहसील ऊखीमठ । | 20.00 |
| 2 | श्री पुष्करलाल पुत्र थेपडूलाल | ग्राम परकण्डी पो0 परकण्डी तहसील ऊखीमठ । | कोर्ट कम्पाउण्ड तहसील ऊखीमठ । | 20.00 |
| 3 | श्री सुल्तानसिंह पुत्र बैरागीसिंह | ग्राम पाली पो0 बसुकेदार तहसील ऊखीमठ । | कोर्ट कम्पाउण्ड तहसील ऊखीमठ । | 20.00 |
| 4 | श्री शिवराजसिंह पुत्र अमरसिंह | ग्राम ग्राम पैज पो0 ऊखीमठ तहसील ऊखीमठ । | कोर्ट कम्पाउण्ड तहसील ऊखीमठ । | 20.00 |
| 5 | श्री राजेन्द्रसिंह रमोला पुत्र दुर्गासिंह | ग्राम जामू पो0 फाटा | कोर्ट कम्पाउण्ड तहसील ऊखीमठ । | 20.00 |
| 6 | श्री चन्द्रसिंह पुत्र हीरासिंह | ग्राम जखोली पो0 जखोली । तहसील जखोली । | कोर्ट कम्पाउण्ड तहसील जखोली । | 20.00 |
| 7 | श्री दिनेश पुत्र मायाराम | ग्राम कपडिया तहसील जखोली । | कोर्ट कम्पाउण्ड तहसील जखोली । | |
| 8 | श्री दिनेश पुत्र भोलाराम | ग्राम देवल तहसील जखोली । | कोर्ट कम्पाउण्ड तहसील जखोली । | 20.00 |
| 9 | श्रीमती गीता देवी पत्नी धमेन्द्रलाल ग्राम-मयकोटी तहसील रुद्रप्रयाग | ग्राम-मयकोटी तहसील रुद्रप्रयाग | कोर्ट कम्पाउण्ड, कलक्ट्रेट,रुद्रप्रयाग | 20.00 |
| 10 | श्री अवतारसिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह सजवाण | ग्राम पुनाड तहसील एवं जनपद रुद्रप्रयाग । | कोर्ट कम्पाउण्ड,तहसील रुद्रप्रयाग । | 20.00 |
| 11 | श्री बद्री प्रसाद डोभाल पुत्र श्री भोला दत्त डोभाल | ग्राम जवाडी तहसील जखोली जनपद रुद्रप्रयाग । | कोर्ट कम्पाउण्ड,तहसील रुद्रप्रयाग । | 20.00 |
| 12 | श्री रमेश कुमार रावत पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह | ग्राम डुगरी तहसील जखोली जनपद रुद्रप्रयाग | कोर्ट कम्पाउण्ड,तहसील रुद्रप्रयाग । | 20.00 |

जनपद में वित्तीय वर्ष 2006-07 (दिनांक 1.4.2006 से 31.3.2007 तक) में
स्वीकृत/कार्यरत स्टाम्प बैंडर अनुज्ञापियों की सूची

| | | | | |
|----|----------|--|-------------------------------------|--------|
| 1 | 09/06-07 | श्री चन्द्रसिंह पुत्र हरिसिंह ग्राम जखोली। | कोर्ट कंपाउंड जखोली | 100-00 |
| 2 | 01/06-07 | श्री कुंजीलाल पुत्र हीरालाल ग्राम ऊखीमठ | कोर्ट कंपाउंड ऊखीमठ | 150-00 |
| 3 | 08/03-04 | श्री अवतारसिंह पुत्र प्रेमसिंह ग्राम पुनाड | कोर्ट कंपाउंड रुद्रप्रयाग । | 150-00 |
| 4 | 15/03-04 | श्री गुडडूलाल पुत्र श्री दयालूलाल ग्राम वावई | कोर्ट कंपाउंड रुद्रप्रयाग । | 150-00 |
| 5 | 32/97-98 | श्री महावीरसिंह पुत्र मातवरसिंह ग्राम ललूडी | कोर्ट कंपाउंड जखोली | तदैव |
| 6 | 01/02-03 | श्री महावीर सिंह पुत्र उम्मरावसिंह ग्राम पेलिंग | कोर्ट कंपाउंड ऊखीमठ | 120-00 |
| 7 | 02/02-03 | श्री गुमानसिंह पुत्र संग्रामसिंह ग्राम कमेंडा | जिला जज कार्ट रुद्रप्रयाग | 100-00 |
| 8 | 03/02-03 | श्री धीरेन्द्र राणा पुत्र गोविन्दसिंह राणा ग्राम तिनसोली । | ---तदैव--- | rnSo |
| 9 | 04/02-03 | श्री भूपेन्द्र सिंह कण्डारी पुत्र कुंवर सिंह कण्डारी ग्राम फलाटी । | स्थान सिल्ली | 250-00 |
| 10 | 05/02-03 | श्री वीरेन्द्रसंह पुत्र छोटियासिंह ग्राम पुनाड | जिला जज कोर्ट रुद्रप्रयाग | 100-00 |
| 11 | 07/02-03 | श्री वाचस्पति मनोडी पुत्र बच्चराम ग्राम रतूडा | ---तदैव--- | तदैव |
| 12 | 08/02-03 | श्री राहुल पुरोहित पुत्र राजेन्द्र पुरोहित ग्राम सन पो0 सतेराखाल | तहसील परिसर,रुद्रप्रयाग | तदैव |
| 13 | 09/02-03 | श्रीमती गीतादेवी पत्नी धर्मेन्द्रलाल ग्राम मयकोटी | डी0एम0कोर्ट कम्पाउण्ड रुद्रप्रयाग । | तदैव |
| 14 | 10/03-04 | श्री पिटंगीलाल पुत्र पुन्नालाल ग्राम सुमाडी | जखोली तहसील परिसर | तदैव |
| 15 | 11/03-04 | श्री दीनबन्धु राणा पुत्र बवनसिंह ग्राम ककोला | स्थान भीरी | तदैव |
| 16 | 12/03-04 | श्री गोविन्दसिंह पुत्र बवनसिंह ग्राम कोन्था | स्थान चन्द्रनगर | तदैव |
| 17 | 13/03-04 | श्री हिम्मतसिंह पुत्र तोतासिंह ग्राम चन्द्रापुरी | स्थान चन्द्रापुरी | तदैव |
| 18 | 14/03-04 | श्री सुरतसिंह पुत्र चैतसिंह ग्राम गैड | तहसील परिसर ऊखीमठ | 50-00 |
| 19 | 16/ | श्री गम्भीर सिंह पुत्र भीमसिंह ग्राम ललूडी | तहसील परिसर जखोली | 100-00 |
| 20 | 17/04-05 | श्री आनन्दसिंह पुत्र गुलाबसिंह ग्राम गडोरा | जिला जज कोर्ट,रुद्रप्रयाग | तदैव |
| 21 | 18/04-05 | श्री प्रदीपसिंह पुत्र भीमसिंह ग्राम पिल्लू | स्थान चन्द्रापुरी | तदैव |
| 22 | 19/04-05 | श्री प्रतापसिंह पुत्र बवनसिंह ग्राम गुप्तकाषी | स्थान गुप्तकाषी | तदैव |
| 23 | 20/04-05 | श्री अषोककुमार पुत्र एस.डी भट्ट ग्राम अगस्तमुनि | स्थान अगस्त्यमुनी | तदैव |
| 24 | 21/04-05 | श्री हयातसिंह जगवाण पुत्र षेरसिंह जगवाण ग्राम छतोली तिलवाडा | तिलवाडा | तदैव |
| 25 | 22/04-05 | श्री प्रमोदकुमार पुत्र अनुसूया प्रसाद ग्राम-लवाणी | स्थान गुप्तकाषी | तदैव |
| 26 | 23/04-05 | श्री विनोद नेगी पुत्र वीरसिंह नेगी ग्राम नाकोट | स्थान अगस्त्यमुनी | तदैव |
| 27 | 24/04-05 | श्री जसपालसिंह पुत्र कमलसिंह ग्राम वरसीर | तहसील जखोली | तदैव |
| 28 | 25/05-06 | श्री दिनेश प्रसाद पुत्र मायाराम ग्राम कपडिया | तहसील जखोली | 120.00 |
| 29 | 26/05-06 | श्री उदयसिंह पुत्र ज्ञानसिंह ग्राम सुमेरपुर | स्थान सुमेरपुर | 100.00 |
| 30 | 27/05-06 | श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र बचनसिंह ग्राम डांगी गुनाउं | स्थान तिलवाडा | तदैव |
| 31 | 28/05-06 | श्री चन्द्रमोहनसिंह जगवाण पुत्र कुंवरसिंह जगवाण ग्राम जगतोली | बेलनी रुद्रप्रयाग | 120.00 |
| 32 | 29/05-06 | श्री ओमप्रकाश बहुगुणा पुत्र गोविन्दराम बहुगुणा | स्थान तिलवाडा | 120.00 |

| | | | | |
|----|----------|--|-----------------------|--------|
| | | ग्राम सिरसोलिया जखोली | | |
| 33 | 30/05-06 | श्री गजेन्द्रसिंह बंगारी पुत्र बलवीरसिंह ग्राम लावडी तहसील जखोली | स्थान सुमाड़ी | 100.00 |
| 34 | 67/97-98 | श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र दुर्गासिंह ग्राम जामू ऊखीमठ | कोर्ट कम्पाउण्ड ऊखीमठ | 100.00 |
| 35 | 29/95-96 | Jh ujsUnzflag iq= Jh [kM+dflag xzke&QybZ | अगस्त्यमुनी | 100.00 |
| 36 | 04/98-99 | श्री षम्भूप्रसाद पुत्र श्री प्रह्लाददत्त ग्राम-चमराड़ा | अगस्त्यमुनी | 100.00 |
| 37 | 30/05-06 | श्री दिगम्बरसिंह पुत्र बीरपालसिंह ग्राम गीडभुत्तेर | स्थान तिलवाड़ा | 100.00 |

प्रेषक

सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादून दिनांक 20 नवंबर, 2001

विषय— स्थाई निवास प्रमाण पत्र
महोदय

समय-समय पर विभिन्न प्रयोजनों के लिए उत्तराखण्ड में स्थाई निवास प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के विषय में अलग-अलग व्यवस्थाएँ की जाती रही हैं, जिनके चलते इस संबंध में लगातार भ्रम एवं अस्पष्टता की स्थिति बनी हुई थी। इस विषय को लेकर भी भ्रांतियां विद्यमान रही हैं कि स्थाई निवास प्रमाण पत्र का क्या तात्पर्य है और इसकी आवश्यकता किस प्रयोजन हेतु होनी चाहिए। सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा स्थाई निवास प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने हेतु अर्हताओं एवं प्रक्रिया के विषय में निम्नवत् निर्णय लिया गया है :-

(1) निर्गत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का शीर्षक स्थाई निवास प्रमाण पत्र होगा।

(2) यह प्रमाण पत्र उन्हीं व्यक्तियों को दिया जायेगा जो भारत के नागरिक हों तथा उत्तराखण्ड के सद्भाविक निवासी (Bonafied Residents) हों इस श्रेणी में वह व्यक्ति आयेंगे जिनका स्थाई आवास (permanent Home) उत्तराखण्ड में हो इसमें वे उत्तराखण्ड निवासी भी सम्मिलित होंगे जो उत्तराखण्ड में कम से कम 15 वर्ष से निवास कर रहे हों अथवा जिनका उत्तराखण्ड में स्थाई आवास (permanent Home) हो किन्तु वे अपनी आजीविका के लिए प्रदेश से बाहर निवास कर रहे हों स्थाई आवास (permanent Home) का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जो उत्तराखण्ड में पैत्रिक रूप से रह रहे हों/ जिनका उत्तराखण्ड में पैत्रिक आवास हो।

(3) स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा इस आशय की घोषण आवश्यक होगी कि उसने किसी भी प्रयोजन हेतु किसी अन्य राज्य का स्थाई निवास ग्रहण नहीं किया है।

(4) बिन्दु (2) में की गई व्यवस्था के अपवाद स्वरूप विशिष्ट प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्तियों को भी उत्तराखण्ड का सद्भाविक निवासी (Bonafied Residents) माना जायेगा जो राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त हों केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के सार्वजनिक उपकरणों के नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मियों जिनकी सेवायें उत्तराखण्ड से बाहर अस्थानांतरणीय है भी इस श्रेणी में शामिल होंगे इस आशय का समुचित साक्ष्य आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

(5) शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के संदर्भ में स्थाई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता उसी दशा में होगी जहां किसी संस्था/ पाठ्यक्रम विशेष के लिए उत्तराखण्ड के निवासियों के लिए सीटें/कोटा आरक्षित हो इस संबंध में संबंधित विभाग द्वारा समय-समय पर यथा आवश्यकता आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

2- मुझसे यह भी कहने की अपेक्षा की गई है कि सामान्यतया इस प्रकार के प्रमाण पत्रों की आवश्यकता कतिपय संगठनों, यथा सेना व अर्द्ध सैनिक बलों में राज्यों के लिए निर्धारित कोटे के आधार पर भर्ती के क्रम में तथा कुछ शिक्षण संस्थाओं/ विशिष्ट पाठ्यक्रमों हेतु राज्य के लिए निर्धारित कोटे के संदर्भ में पड़ती है, इसके अतिरिक्त कतिपय सेवाओं यथा सेना, अर्द्धसैनिक बलों व पुलिस में विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए शारीरिक अर्हताओं में छूट की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए संबंधित विभागों द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र पूर्ववत् चल रही प्रक्रिया के अनुसार जारी किये जाते रहेंगे और इन निर्देशों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3- उपरोक्त निर्देशों के अनुसार स्थाई निवास प्रमाण पत्र संलग्न-1 प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त होंगे पर तथा इसमें उल्लिखित बिन्दुओं पर भली भांति जांच के उपरान्त संलग्न- 2 में इंगित प्रारूप में निर्गत किया जायेगा।

4- अनुरोध है कि कृपया स्थाई निवास प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में उपरोक्त निर्देशों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

(पी0सी0 शर्मा)

सचिव

शासनादेश संख्या-2588/एक-4/सा0प्र0/2001 का संलग्नक-1

सेवा में

.....

विषय- स्थाई निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र

महोदय

.....

(1) आवेदक का नाम

(2) आवेदक की जन्म तिथि व जन्म स्थान

(3) आवेदक के पिता का नाम

(4) आवेदक के पिता का जन्म स्थान

(5) यदि पिता का जन्म स्थान उत्तराखण्ड से भिन्न है तो वह कब से उत्तराखण्ड में निवास कर रहे हैं।

(6) 1. आवेदक का स्थाई पता

2. आवेदक की शिक्षा-दीक्षा कहां हुई है (हाईस्कूल व आगे की शिक्षा के विद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम, जनपद, वर्ष का विवरण दें)

(7) क्या आवेदक के माता/पिता/दादा/परदादा की यहां पैतृक संपत्ति है ? यदि हां तो कहां तथा कब से है (यहां संपत्ति का संक्षिप्त ब्यौरा भी दिया जायेगा)

(8) क्या आवेदक के माता/पिता अपने पैतृक ग्राम में आजीविका उपार्जित कर रहे हैं यदि नहीं तो वे कहां अपनी आजीविका उपार्जित कर रहे हैं तथा कब से (यहां उनके व्यवसाय का विवरण भी दें)

(9) क्या आवेदक के माता/पिता सरकारी सेवा में है यदि हां तो किस जनपद में किस विभाग में किस पद पर तैनात हैं।

(10) स्थाई निवास प्रमाण पत्र मांगे जाने का कारण

हस्ताक्षर
पता.....

- 1- मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचनायें सत्य हैं
- 2- मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उत्तराखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य से किसी भी प्रयोजन के लिए स्थाई निवास/डोमीसाइल प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर

शासनादेश संख्या-2588/एक-4/सा0प्र0/2001 का संलग्नक-2
स्थाई निवास प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु0/श्रीमती.....
.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीनिवासी
ग्राम/मोह0/वार्ड..... तहसील.....
जिला.....उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र
निर्गत करने से पूर्व निर्धारित समस्त मानदंडों की भली भांति जांच
कर ली गई है और जांच से पूर्णतया संतुष्ट हूं।

जिलाधिकारी/परगनाधिकारी
मुहर

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तराखण्ड शासन
समस्त जिलाधिकारी/ कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक : 29 मार्च, 2003

विषय- राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण पत्र।
महोदय,

राज्याधीन लोक सेवाओं में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (यथा अनुकूलित एवं संशोधित) में की गई है। अन्य पिछड़े वर्ग का विवरण उपरोक्त अधिनियम की अनुसूची-एक में अंकित है, परन्तु अनुसूची-एक में समाविष्ट वर्ग का सदस्य होते हुए भी ऐसे व्यक्तियों को आरक्षण अनुमन्य नहीं है, जो उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के परन्तुक के साथ पठित अनुसूची-दो से आच्छादित होते हैं।

2- उक्त आरक्षण अधिनियम के तहत आरक्षण सुविधा प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अधिनियम की धारा-9 में यह प्राविधानित है कि ऐसा जाति प्रमाण पत्र ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा तथा ऐसी रीति तथा प्रारूप में जारी किया जायेगा जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबन्ध करें।

3- उक्त धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट/ उप जिलाधिकारी/ तहसीलदार जिसके क्षेत्र में संबंधित अभ्यर्थी निवास करता हो अथवा वहां उसका जन्म हुआ हो द्वारा सभी वांछित औपचारिकतायें पूर्ण करा कर निर्धारित प्रपत्र में अपने हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा। अनाधिकृत रूप से जारी किये गये प्रमाण पत्रों पर आरक्षण की कोई सुविधा न दी जाए। शासन द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र के प्रारूप निर्धारित किये गए हैं, जो संलग्न हैं।

4- अनुरोध हे कि निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा ऐसे प्रमाण पत्र जारी किये जायें व इस प्रकार जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर उपर्युक्त अधिनियम के तहत आरक्षण के संबंध में नियमानुसार चयन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

5- आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्णय से सभी संबंधित/सक्षम अधिकारियों, जो आपके अधीनस्थ हो को अवगत कराने का कष्ट करें तथा विशेष रूप से अपने जनपद के प्रत्येक अपर जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट /उप जिलाधिकारी/ तहसीलदार को सरकार के इस निर्णय से अवगत करा दिया जाये ताकि उक्त नीति के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में तथा अनुमन्य आरक्षण की व्यवस्था को लागू किए जाने में कोई असुविधा न हो।

भवदीय

(आलोक कुमार जैन)
अपर सचिव

संख्या- 1540(1)/कार्मिक-2/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, श्री राज्यपाल महोदय
- 2- सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड
- 3- सचिव, मंडलायुक्त, उत्तराखण्ड
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड
- 5- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से
(आर0सी0 लोहनी)

उत्तराखण्ड की अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
...../सुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम.....
तहसील.....नगर..... जिला.....
उत्तराखण्ड की..... जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर
प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े
वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की अनुसूची-1 के अंतर्गत मान्यता
प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
..... उक्त अधिनियम, 1994 की अनुसूची-2 से आच्छादित नहीं हैं।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उसका परिवार उत्तराखण्ड ग्राम.....
तहसील..... नगर.....जिला..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान:

दिनांक:

मुहर

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पदनाम

जिलाधिकारी / अतिरिक्त

जिलाधिकारी / सिटी

मजिस्ट्रेट / परगना

मजिस्ट्रेट / तहसीलदार

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए
जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
...../सुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम.....
तहसील.....नगर..... जिला.....
उत्तराखण्ड की..... जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान
(अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)
/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश 1967 के अनुसार
जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।
श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उसका
परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम..... जिला.....
..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान :
दिनांक :

मुहर

हस्ताक्षर
पूरा नाम

पदनाम
जिलाधिकारी/अतिरिक्त
जिलाधिकारी / सिटी
मजिस्ट्रेट /परगना
मजिस्ट्रेट।

ठेकेदारी पंजीकरण हेतु निर्गत किए गए चरित्र प्रमाण पत्रों की सूची
1-4-2006 से मार्च 2007 तक

| क्रमांक | जनपद | आवेदक का नात व पता |
|---------|------|--|
| 1 | | श्री दयालसिंह पुत्र चन्द्रसिंह ग्राम-खलियंण बांगर तहसील जखोली |
| 2 | | श्री प्रकाशसिंह पुत्र श्री दुलभसिंह ग्राम-कुनियाली तहसील जखोली |
| 3- | | श्री हनुमासिंह पुत्र श्री रघनाथसिंह ग्राम-केड़ा मल्ला तहसीलन ऊखीमठ |
| 4- | | श्री दलीपसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह ग्राम-नागडांडा तहसील रुद्रप्रयाग |
| 5- | | श्री राजवरसिंह पुत्र श्री शिशुपालसिंह ग्राम-सिन्द्रवाड़ी तहसील रुद्रप्रयाग |
| 6- | | श्री केशरसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह ग्राम-काण्डा भरदार तहसील जखोली |
| 7- | | श्री जगदीपसिंह पुत्र कुलदीपसिंह ग्राम-बीरोदेवल तहसील ऊखीमठ |
| 8- | | श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र लखपतसिंह ग्राम-परकण्डी तहसील ऊखीमठ । |
| 9- | | श्री प्रदीपसिंह पुत्र श्री जयसिंह ग्राम-बडेथ , तहसील ऊखीमठ |
| 10- | | श्री बचनसिंह पुत्र श्री दुर्गासिंह ग्राम-जग्गी वगवान, तहसील ऊखीमठ |
| 11- | | श्री भगतसिंह पुत्र इन्द्रसिंह वाजूगड़ तहसील ऊखीमठ |
| 12- | | श्री जय जुगराण पुत्र हर्षमणि ग्राम-चौथला तहसील रुद्रप्रयाग |
| 13- | | श्री महितावसिंह पुत्र बचनसिंह ग्राम-नगरासू तहसील रुद्रप्रयाग |
| 14- | | श्री परमेन्द्रसिंह पुत्र श्री मदनसिंह ग्राम-नाकोट, तहसील रुद्रप्रयाग |
| 15- | | श्री प्रदीपसिंह पुत्र बचनसिंह ग्राम-भटवाड़ी सुनार तहसील ऊखीमठ |
| 16- | | श्री देवराजसिंह पुत्र बीरेन्द्रसिंह ग्राम जलई, तहसील ऊखीमठ |
| 17- | | श्री आशीष काला पुत्र भगवतीप्रसाद ग्राम-पुनाड़ तहसील रुद्रप्रयाग |
| 18- | | श्री चन्द्रसिंह पुत्र श्यामसिंह ग्राम-तलगढ़ तहसील रुद्रप्रयाग |
| 19- | | श्री भगवानसिंह पुत्र चैतसिंह ग्राम-त्युंख तहसील जखोली |
| 20 | | श्री इन्द्रसिंह पुत्र श्री ज्ञानसिंह ग्राम-सिल्ला वामणगांव तहसील ऊखीमठ |
| 21 | | श्री हेमन्तसिंह पुत्र श्री भगसिंह ग्राम-सान्दर तहसील रुद्रप्रयाग |
| 22 | | श्री बुद्धिसिंह पुत्र घीणासिंह ग्राम-न्यालसू तहसील ऊखीमठ |
| 23 | | श्री प्रकाशसिंह पुत्र श्री सुजानसिंह ग्राम-माई कीमंडी, तहसील जखोली |
| 24 | | श्री सुजानसिंह पुत्र शेरसिंह ग्राम-जवाड़ी तहसील जखोली |
| 25 | | श्री जीतराम पुत्र घनश्यामदत्त ग्राम-कोटली, तहसील जखोली |
| | | श्री मोहनसिंह पुत्र श्री कली ग्राम-सिल्ला बामणगांव तहसील ऊखीमठ |
| 26 | | श्री शिशपालसिंह पुत्र श्री बचनसिंह ग्राम-न्यालसू, तहसील ऊखीमठ |

- 27 श्री देवीप्रसाद पुत्र श्री बच्चीराम ग्राम—गौरीकुण्ड तहसील ऊखीमठ
- 28 श्री सैनसिंह पुत्र रूपसिंह ग्राम खुमेरा तहसील ऊखीमठ
- 29 श्री जशोधरप्रसाद सेमवाल पुत्र श्री महेश्वरप्रसाद ग्राम—मुरचौण्डा तहसील जखोली
- 30 श्री विनोदसिंह पुत्र इन्द्रसिंह ग्राम—तेवड़ीसेम तहसील ऊखीमठ
- 31 श्री जसपालसिंह पुत्र श्री भूपालसिंह ग्राम—दरमोला, तहसील जखोली
- 32 श्री गण्डीसिंह पुत्र मदनसिंह ग्राम—बंगोली बचछणस्यू तहसील रूद्रप्रयाग
- 33 श्री कमलसिंह पुत्र मखनसिंह ग्राम—रायढ़ी तहसील जखोली
- 34 श्री जोतसिंह पुत्र श्री गजेसिंह ग्राम—गोर्ती तहसील जखोली
- 35 श्री टुपरसिंह पुत्र श्री अषाड़सिंह ग्राम—कोदिमा तहसील रूद्रप्रयाग
- 36 श्री मशेचन्द्र पुत्र जगन्नाथ ग्राम—भटवाड़ी तहसील ऊखीमठ
- 37 श्री सैयद अतहर अली पुत्र सैयदअख्तर अली ,ग्राम—गीड़भूतेर तहसील रूद्रप्रयाग
- 38 श्री दौलतराम पुत्र श्री मुन्शीराम ग्राम—सेरा तहसील जखोली
- 39 श्री दशरथप्रसाद पुत्र विद्यादत्त ग्राम—सुवदनी तहसील ऊखीमठ
- 40 श्री अरुण कपरुवान पुत्र प्रतापसिंह ग्राम—पुनाड़ तहसील रूद्रप्रयाग
- 41 श्री विजयसिंह भण्डारी पुत्र मंगलसिंह ग्राम—सान्दर वेलनी तहसील रूद्रप्रयाग
- 42 श्री रसूलख्खा पुत्र अब्दुल ग्राम—अमोठा तहसील रूद्रप्रयाग
- 43 श्री पुरुषोत्तम प्रसाद पुत्र नागदत्त ग्राम—काण्डा, तहसील रूद्रप्रयाग
- 44 श्री आलोक भट्ट पुत्र कृष्णानन्द ग्राम— नाकोट, तहसील रूद्रप्रयाग
- 45 श्री झूरीप्रसाद पुत्र रामस्वरूप ग्राम—बेला कोटेश्वर, तहसील रूद्रप्रयाग
- 46 श्री आशीष पुरोसिंहत पुत्र श्री जगदीशचन्द्र ग्राम पाली तहसील रूद्रप्रयाग
- 47 श्री वृजमोहनसिंह पुत्र बचनसिंह ग्राम— पाली चन्द्रापुरी तहसील ऊखीमठ
- 48 श्री उमेन्द्रसिंह पुत्र श्री जगन्नाथ ग्राम—जामू फाटा तहसील ऊखीमठ
- 49 श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह ग्राम—वखसीर तहसील जखोली
- 50 श्री महावीरसिंह पुत्र दलेबसिंह ग्राम—बजीरा तहसील जखोली
- 51 श्री गजेन्द्रसिंह नारायणसिंह ग्राम—सुरसाल तहसील ऊखीमठ
- 52 श्री चन्द्रकुंवर पुत्र श्री नरेन्द्रसिंह ग्राम—रायड़ी तहसील जखोली
- 53 श्री मदनसिंह पुत्र नौरतसिंह ग्राम—भैसगांव तहसील रूद्रप्रयाग
- 54 श्री महावीरसिंह पुत्र प्रतापसिंह ग्राम—गीड़ भूतेर तहसील रूद्रप्रयाग
- 55 श्री नारायणसिंह पुत्र शेरसिंह ग्राम—शिवपुरी तहसील रूद्रप्रयाग
- 56 श्री बीरेन्द्रसिंह पुत्र छोटियासिंह ग्राम—पुनाड़ तहसील रूद्रप्रयाग
- 57 श्री धनराजसिंह पुत्र भारतसिंह ग्राम—तुनेटा तहसील जखोली
- 58 श्री हुकमसिंह पुत्र श्यामसिंह ग्राम—कोदिमा तहसील रूद्रप्रयाग
- 59 श्री भूपालसिंह पुत्र मालदतत्तसिंह ग्राम—बुरुवा तहसील ऊखीमठ
- 60 श्री देवीप्रसाद पुत्र सदानन्द ग्राम—नन्दवाणगांव तहसील जखोली

- 61 श्री विक्रमसिंह पुत्र श्री चन्द्रसिंह ग्राम—धारकोट तहसील जखोली
- 62 श्री राकेशमोहन डोभाल पुत्र विश्वेश्वरप्रसाद ग्राम—जवाड़ी तहसील जखोली
- 63 श्री बीरसिंह पुत्र शेरसिंह ग्राम—कुमड़ी तहसील जखोली
- 64 श्री कुंवरसिंह पुत्र श्री गबरसिंह ग्राम—चाका तहसील जखोली
- 65 श्री राकेशमोहन पुत्र जसपालसिंह ग्राम—चाका तहसील जखोली
- 66 श्री पुष्करसिंह पुत्र श्री घीणा सिंह ग्राम—चाका तहसील जखोली
- 67 श्री दिगम्बरसिंह पुत्र बीरपालसिंह ग्राम—गीडभूतेर तहसील रुद्रप्रयाग
- 68 श्री शिवसिंह पुत्र नारायणसिंह ग्राम—कपणिया तहसील जखोली
- 69 श्री भीमसिंह पुत्र घीणासिंह ग्राम—नैली पटालीधार तहसील ऊखीमठ
- 70 श्री विक्रमसिंह पुत्र प्रतापसिंह ग्राम—सान्दर तहसील रुद्रप्रयाग
- 71 श्री बच्चौराम पुत्र गबरू ग्राम—सेमा तहसील जखोली
- 72 श्री महेन्द्रसिंह पुत्र सितावसिंह ग्राम—नगरासू तहसील रुद्रप्रयाग
- 73 श्री कुलदीपसिंह पुत्र श्री कुन्दनसिंह ग्राम—कमसाल तहसील ऊखीमठ
- 74 श्री रामसिंह पुत्र ज्वालासिंह ग्राम—बोरा तहसील रुद्रप्रयाग
- 75 श्री रामचन्द्रसिंह पुत्र गबरसिंह ग्राम—वावई तहसील रुद्रप्रयाग
- 76 श्री बादरसिंह पुत्र पूर्णसिंह ग्राम—सुमाड़ी तहसील जखोली
- 77 श्री हरेन्द्रसिंह पुत्र बीरेन्द्रसिंह ग्राम—परकण्डी तहसील ऊखीमठ
- 78 श्री रामप्रसाद पुत्र कलीराम ग्राम—भंगगा तहसील जखोली
- 79 श्री सत्यपालसिंह पुत्र नन्दनसिंह ग्राम—जगोट तहसील ऊखीमठ
- 80 श्री श्रीकृष्ण भट्ट पुत्र मुकुन्दराम ग्राम—फतेहपुर तहसील रुद्रप्रयाग
- 81 श्री राजेश थपलियाल पुत्र जयानन्द ग्राम—पोखरी तहसील रुद्रप्रयाग
- 82 श्री शिवप्रसाद पुत्र श्री तुलसीराम ग्राम—गड़गू तहसील ऊखीमठ
- 83 श्री विक्रमसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह ग्राम—बुढना तहसील जखोली
- 84 श्री बसन्तसिंह पुत्र सलोपहि ग्राम—स्यालदुंगी तहसील जखोली
- 85 श्री प्रह्लादसिंह पुत्र मातवरसिंह ग्राम—लुठियाग तहसील जखोली
- 86 श्री हर्षवर्धन पुत्र हुकमसिंह ग्राम—रायड़ी तहसील जखोली
- 87 श्री कान्तीप्रसाद पुत्र गुणनन्द ग्राम—सुमाड़ी तहसील जखोली ।
- 88 श्री शिवराजसिंह पुत्र श्री शेरसिंह ग्राम—उनियाणा तहसील ऊखीमठ
- 89 श्री मोहनसिंह पुत्र लालसिंह ग्राम—चिनगवाड़ तहसील रुद्रप्रयाग
- 90 श्री मोतीलाल पुत्र खिताड़ीलाल ग्राम—गड़गू तहसील ऊखीमठ
- 91 श्री जगदीशप्रसाद पुत्र श्री वासवानन्द ग्राम—खलियाण तहसील जखोली
- 92 श्री गोपालसिंह पुत्र मकरसिंह ग्राम—क्यूडी तहसील रुद्रप्रयाग
- 93 श्री कुंवरसिंह पुत्र पुष्करसिंह ग्राम—रांसी तहसील ऊखीमठ
- 94 श्री छोटियासिंह पुत्र लालसिंह ग्राम—किणझाणी तहसील ऊखीमठ

- 95 श्री बीरेन्द्रसिंह पुत्र श्री नागसिंह ग्राम—गौण्डार तहसील ऊखीमठ
- 96 श्री सूर्यवीरसिंह पुत्र उदयसिंह ग्राम—कण्डारा तहसील ऊखीमठ
- 97 श्री शान्तिप्रसाद पुत्र पुरुषोत्तम ग्राम—तिलवाड़ा तहसील रुद्रप्रयाग
- 98 श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री कुंवरसिंह ग्राम—नौना , तहसील रुद्रप्रयाग
- 99 श्री उदयसिंह पुत्र हीरासिंह ग्राम—कण्डारा तहसील ऊखीमठ
- 100 श्री अजयवीरसिंह पुत्र उदयसिंह ग्राम—कण्डारा तहसील ऊखीमठ
- 101 श्री छोटियासिंह पुत्र श्री मौजूसिंह ग्राम—पटाली तहसील ऊखीमठ
- 102 श्री पुष्करसिंह पुत्र बालकसिंह ग्राम—पटाली तहसील ऊखीमठ
- 103 श्री मदनसिंह पुत्र श्री देवसिंह ग्राम—रांसी तहसील ऊखीमठ
- 104 श्री मदनसिंह पुत्र तुलासिंह ग्राम—रांऊलेंक तहसील ऊखीमठ
- 105 श्री ज्ञानसिंह पुत्र देवसिंह ग्राम— रांसी तहसील ऊखीमठ
- 106 श्री प्रमोदसिंह पुत्र पुष्करसिंह ग्राम—ललूड़ी तहसील जखोली
- 107 श्री रणजीतसिंह पुत्र इन्द्रसिंह ग्राम—मखेत तहसील जखोली
- 108 श्री बचनसिंह पुत्र श्री जगनाथसिंह पुष्पाण ग्राम—किमाणा तहसील ऊखीमठ
- 109 श्री दिनेशनसिंह पुत्र श्यामसिंह ग्राम—कुनियाली तहसील जखोली
- 110 श्री युद्धवीरसिंह पुत्र मोहनसिंह ग्राम—चौकी वर्सिल, तहसील रुद्रप्रयाग
- 111 श्री सुन्दरसिंह पुत्र शिचन्द्रसिंह ग्राम—सान्दर तहसील रुद्रप्रयाग
- 112 श्री जीतसिंह पुत्र जसपालसिंह ग्राम—चाका तहसील रुद्रप्रयाग
- 113 श्री मुहम्मद इसरार पुत्र बरकत अली ग्राम—डांगी तहसील ऊखीमठ
- 114 श्री जयवीरसिंह पुत्र यशपालसिंह ग्राम—गअनीगांव तहसील ऊखीमठ
- 115 श्री विनोदसिंह पुत्र प्रतापसिंह ग्राम—रूमसी तहसील रुद्रप्रयाग
- 116 श्री नरेन्द्रसिंह रावत पुत्र श्री भूपालसिंह ग्राम—सिनघाटा तहसील ऊखीमठ
- 117 श्री देवीप्रसाद पुत्र सुरेशानन्द ग्राम—बेनोली तहसील जखोली
- 118 श्री इन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह ग्राम—सेमीतल्ली तहसील ऊखीमठ
- 119 श्री जीतेन्द्रसिंह पुत्र श्यामसिंह ग्राम—जलई तहसील ऊखीमठ
- 120 श्री श्यामसिंह पुत्र मखासिंह ग्राम—लडियासू तहसील जखोली
- 121 श्री भगवतीप्रसाद पुत्र कान्तीराम ग्राम—उथिण्ड तहसील ऊखीमठ
- 123 श्री रमेशसिंह पुत्र रजपालसिंह ग्राम—कपणिया तहसील जखोली
- 124 श्री उदयसिंह पुत्र ज्ञानसिंह ग्राम—सुमेरपुर तहसील रुद्रप्रयाग
- 125 श्री गोविन्दप्रसाद पुत्र ब्रह्मानन्द ग्राम—कोटली तहसील जखोली
- 126 श्री नरेन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह ग्राम—गैड़ तहसील ऊखीमठ
- 127 श्री दिलवरसिंह पुत्र हुकमसिंह ग्राम—चमसील तहसील रुद्रप्रयाग
- 128 श्री सुरेशचन्द्र पुत्र घनानन्द ग्राम—गुगली तहसील ऊखीमठ
- 129 श्री शत्रुघनसिंह पुत्र कुंवरसिंह ग्राम—वाड़व तहसील ऊखीमठ

- 130 श्रीमती देवेश्वरी देवी पत्नी जगमोहनसिंह ग्राम—खतियाणा तहसील रूद्रप्रयाग
- 131 श्री रघुवीरसिंह पुत्र मातवरसिंह ग्राम—रामपुर तहसील रूद्रप्रयाग
- 132 श्री टीकाराम पुत्र महेशानन्द ग्राम—खलियाण तहसील जखोली
- 134 श्री धर्मसिंह पुत्र श्रीपति ग्राम—बीरों तहसील रूद्रप्रयाग ।
- 135 श्री रमेशलाल पुत्र वंशीलाल ग्राम—बष्ठी तहसील ऊखीमठ
- 136 श्री जगदम्बाप्रसाद पुत्र शिवप्रसाद ग्राम—सिन्दवालगांव तहसील रूद्रप्रयाग
- 137 श्री वीरविक्रमसिंह पुत्र बचनसिंह ग्राम—जखोली तहसील जखोली
- 138 श्री महेन्द्रसिंह पुत्र शिवसिंह ग्राम—रूमसी तहसील रूद्रप्रयाग
- 139 श्री माधोसिंह पुत्र श्री बचनसिंह ग्राम—उदियाणगांव तहसील जखोली
- 140 श्री शिवप्रसाद पुत्र श्री गोविन्दराम ग्राम—ललूडी तहसील जखोली
- 141 श्री राजवीरसिंह पुत्र शिशुपालसिंह ग्राम—गडोरा तहसील रूद्रप्रयाग
- 142 श्री हनुमानसिंह उर्फ हनुमन्तसिंह ग्राम—बज्वाड़ तहसील जखोली
- 143 श्री किशोरीलाल पुत्र मुन्शीलाल ग्राम—खलियाण तहसील जखोली
- 144 श्री कुलदीपसिंह पुत्र मेहरवानसिंह ग्राम—पांजणा तहसील जखोली
- 145 श्री विजयसिंह पुत्र उमेदसिंह ग्राम—तुलंगा तहसील ऊखीमठ
- 146 श्री पुष्करसिंह पुत्र भूपालसिंह ग्राम—तेवड़ी तहसील ऊखीमठ
- 147 श्री सतेसिंह पुत्र धूमसिंह ग्राम—क्यांज तहसील ऊखीमठ
- 148 श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह ग्राम—कुण्डादाणकोट तहसील रूद्रप्रयाग
- 149 श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह ग्राम—करोखी तहसील ऊखीमठ
- 150 श्री जसपालसिंह पुत्र फतेसिंह ग्राम—काण्डा, तहसील ऊखीमठ
- 151 श्री लक्ष्मीप्रसाद पुत्र गैणानन्द ग्राम—पुजारगांव तहसील जखोली
- 152 श्री बीरसिंह पुत्र भीमसिंह ग्राम—जगोट तहसील ऊखीमठ
- 153 श्री मकरसिंह पुत्र वीरसिंह ग्राम—धण्डियालका तहसील रूद्रप्रयाग
- 154 श्री हरेन्द्रप्रसाद पुत्र भोलादत्त ग्राम—क्वीला तहसील जखोली
- 155 श्री मनोजकुमार पुत्र गजाधार ग्राम—गुप्तकाशी तहसील ऊखीमठ
- 156 श्री अनूपसिंह पुत्र श्री कुंवरसिंह ग्राम—अजयपुर तहसील ऊखीमठ
- 157 श्री रमेशसिंह वादीसिंह ग्राम—गौण्डार तहसील ऊखीमठ
- 158 श्री मोहनसिंह पुत्र फतेसिंह ग्राम—पूलन तहसील जखोली
- 159 श्री अषाउसिंह पुत्र नारायणसिंह ग्राम स्यांसु तहसील ऊखीमठ
- 160 श्री पूर्णसिंह पुत्र गोपालसिंह ग्राम पिल्लू तहसील ऊखीमठ
- 161 श्री गुमानू पुत्र नागू ग्राम पांजणा तहसील [kksyh
- 162 श्री चैतसिंह पुत्र वलदेवसिंह ग्राम उनियाणा तहसील जखोली
- 163 श्री प्रतापसिंह पुत्र शेरसिंह ग्राम वष्ठी तहसील जखोली
- 164 श्री वच्चीराम पुत्र ईश्वरीदत्त ग्राम दिलमी तहसील ऊखीमठ

- 165 श्री केशरसिंह पुत्र गुसांईसिंह ग्राम रांसी तहसील ऊखीमठ
- 166 श्री राजेशसिंह पुत्र सिताबसिंह ग्राम गडोरा तहसील ऊखीमठ
- 167 श्री तीश मैठाणी पुत्र महानन्द ग्राम मक्कू तहसील ऊखीमठ
- 168 श्री मदनसिंह पुत्र इन्द्रसिंह ग्राम कुडी अदूली तहसील जखोली
- 169 श्री कुंवरसिंह पुत्र जयसिंह ग्राम अखोडी तहसील ऊखीमठ
- 170 श्री विनोदसिंह पुत्र वचनसिंह ग्राम चुन्नी तहसील ऊखीमठ
- 171 श्री जसपालसिंह पुत्र महावीरसिंह ग्राम खलियाण तहसील जखोली
- 172 श्री बदीदत्त रघुवरदत्त ग्राम खांकरा तहसील रुद्रप्रयाग
- 173 श्री नीरजप्रसाद पुत्र मुरलीघर ग्राम श्रीकोट तहसील जखोली
- 174 श्री कृपालसिंह पुत्र वलवीरसिंह ग्राम जखोली तहसील जखोली
- 175 श्री भगवानसिंह पुत्र नारायणसिंह ग्राम धारकोट तहसील जखोली
- 176 श्री हुकमसिंह पुत्र केदारसिंह ग्राम बकसीर तहसील जखोनी
- 177 श्री उम्मेदसिंह पुत्र फतेसिंह ग्राम त्यूखर तहसील जखोली
- 178 श्री अवतारसिंह पुत्र माधेसिंह ग्राम बुढना तहसील जखोली
- 179 श्री सुरजसिंह पुत्र वचनसिंह ग्राम पांजणा तहसील जखोली
- 180 श्री रणजीतसिंह पुत्र प्रतापसिंह ग्राम जालमल्ला तहसील ऊखीमठ
- 181 श्री प्रेमलाल पुत्र कुंजीलाल ग्राम कोटमा तहसील ऊखीमठ
- 182 श्री सूरजलाल पुत्र श्री बच्चीलाल ग्राम नागजग्गई तहसील ऊखीमठ
- 183 श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्री विजयसिंह ग्राम नौना मरगांव तहसील रुद्रप्रयाग
- 184 श्री नागेन्द्रपालसिंह पुत्र श्री सत्यपालसिंह ग्राम सान्दर तहसील रुद्रप्रयाग
- 185 श्री पानसिंह पुत्र श्री हरिसिंह ग्राम रांसी तहसील ऊखीमठ
- 186 श्री जगदीशप्रसाद पुत्र श्री धर्मानन्द ग्राम कोडियाला तहसील जखोली
- 187 श्री जीतसिंह पुत्र बणवासिंह ग्राम संगम बाजार रुद्रप्रयाग तहसील रुद्रप्रयाग
- 188 श्री आलमसिंह पुत्र श्री सिताबसिंह ग्राम मवाणा घोलतीर तहसील रुद्रप्रयाग
- 189 श्री सूरतसिंह पुत्र श्री कुंवरसिंह ग्राम चाका तहसील जखोली ।
- 190 श्री हीरासिंह पुत्र श्री हुकमसिंह ग्राम दुंग तहसील रुद्रप्रयाग
- 191 श्री हरिसिंह पुत्र श्री बालासिंह ग्राम मलनाऊ तहसील रुद्रप्रयाग
- 192 श्री महेशानन्द पुत्र मालदत्त ग्राम पाली तहसील ऊखीमठ
- 193 श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र धामसिंह ग्राम बरुवा तहसील ऊखीमठ
- 194 श्री बलबीरसिंह पुत्र श्री मंगलसिंह ग्राम बष्टी तहसील ऊखीमठ
- 195 श्री विजयसिंह पुत्र शिशुपालसिंह ग्राम देवली तहसील रुद्रप्रयाग ।
- 196 श्री यशवन्तसिंह पुत्र मनोहरसिंह ग्राम—वावई तहसील रुद्रप्रयाग ।
- 197 श्री रणजीतसिंह पुत्र सितावसिंह ग्राम—तडियालगांव तहसील रुद्रप्रयाग
- 198 श्री जयसिंह पुत्र वागसिंह ग्राम—सौंदा तहसील जखोली

| | |
|-----|---|
| 199 | श्री शिवसिंह पुत्र चन्द्रसिंह ग्राम—गवनीगांव तहसील ऊखीमठ |
| 200 | श्री शिशुपालसिंह पुत्र मादुसिंह ग्राम—भैंसगांव तहसील रुद्रप्रयाग |
| 201 | श्री गोपालसिंह पुत्र नारायणसिंह ग्राम—घरियाण तहसील जखोली |
| 201 | श्री मोहनसिंह पुत्र चन्द्रसिंह ग्राम— रतूडा तहसील रुद्रप्रयाग |
| 203 | श्री शंकरसिंह पुत्र नैनसिंह ग्राम—स्यूबांगर तहसील जखोली |
| 204 | श्री उदयसिंह पुत्र बच्चूनाथ ग्राम—सेम तहसील जखोली |
| 205 | श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र बचनसिंह ग्राम भटवाड़ी तहसील रुद्रप्रयाग |
| 206 | श्री रघुवीरसिंह पुत्र मोहनसिंह ग्राम—कलाकोट तहसील ऊखीमठ |
| 207 | श्री बनारसीलाल पुत्र बांकेलाल ग्राम—लमगौण्डी तहसील ऊखीमठ |
| 208 | श्री उमेदलाल पुत्र श्री गौड़ू ग्राम—भटवाड़ी तहसील जखोली |
| 209 | श्री रणजीतसिंह पुत्र बचनसिंह ग्राम— हाट तहसील ऊखीमठ |
| 210 | श्री चन्दनसिंह पुत्र कुंवरसिंह ग्राम—बीरोदेवल तहसील ऊखीमठ |
| 211 | श्री हर्षवर्धन सेमवाल पुत्र पीताम्बरदत्त ग्राम—उथिण्ड तहसील ऊखीमठ |
| 212 | श्री भीमराजसिंह पुत्र रणजीतसिंह ग्राम—तडाग तहसील रुद्रप्रयाग |
| 213 | श्री विशनसिंह पुत्र फतेसिंह ग्राम—मैठाणा तहसील रुद्रप्रयाग |
| 214 | श्री भानुप्रसाद पुत्र रामभरोसे ग्राम—डांगी तहसील डांगी |
| 215 | श्री पुष्करसिंह पुत्र प्रेमसिंह ग्राम—तोरियाल तहसील जखोली |
| 216 | श्री रामचन्द्रसिंह पुत्र केदारसिंह ग्राम—कणसिली तहसील ऊखीमठ |
| 217 | श्री शिवलाल पुत्र डोभा ग्राम—भुनालगांव तहसील जखोली |
| 218 | श्री रामचन्द्र पुत्र मुकन्दानन्द ग्राम—पुनाड़ तहसील रुद्रप्रयाग |
| 219 | श्री प्रेमसिंह पुत्र हयातसिंह ग्राम—पुनाड़ तहसील रुद्रप्रयाग |
| 220 | श्री नरेन्द्रसिंह पुत्र सुरेन्द्रसिंह ग्राम—सुमेरपुर तहसील रुद्रप्रयाग |
| 221 | श्री ठाकुरसिंह पुत्र कवीन्द्रसिंह ग्राम वाड़ तहसील ऊखीमठ |
| 222 | श्री कुंवरसिंह पुत्र शेरसिंह ग्राम—कविल्ठा तहसील ऊखीमठ |
| 223 | श्री शिशुपालसिंह पुत्र बचनसिंह ग्राम—न्यालसू तहसील ऊखीमठ |
| 224 | श्री विशनाथ पुत्र ज्ञाननाथ ग्राम—दुवाडखू तहसील ऊखीमठ |
| 225 | श्री रामप्रकाश पुत्र तारालाल ग्राम—मैखण्डा तहसील ऊखीमठ |
| 226 | श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र प्रतापसिंह ग्राम—स्वांरीग्वांस तहसील रुद्रप्रयाग |
| 227 | श्री जयवीरसिंह पुत्र विश्रामसिंह ग्राम—नगरासू तहसील रुद्रप्रयाग |
| 228 | श्री प्रतापसिंह उर्फ पूर्णसिंह पुत्र फतेसिंह ग्राम—कपणिया तहसील जखोली |
| 229 | श्री नारायणसिंह पुत्र नैनसिंह ग्राम—करोखी तहसील ऊखीमठ |
| 230 | श्री कैलाशचन्द्र पुत्र मणिलाल ग्राम—नगरासू तहसील रुद्रप्रयाग |
| 231 | श्री जीतपालसिंह पुत्र छोटियासिंह ग्राम—पठाली तहसील ऊखीमठ |
| 232 | श्री वख्तावरसिंह पुत्र देवसिंह ग्राम—मक्कू तहसील ऊखीमठ |

- 233 श्री कपूरसिंह पुत्र जैमरसिंह ग्राम-लिस्वाल्टा तहसील जखोली
- 234 श्री भगवानसिंह पुत्र हुकमसिंह ग्राम-किरोडा तल्ला तहसील जखोली
- 235 श्री विरेन्द्रसिंह पुत्र बचनसिंह ग्राम-अजयपुर तहसील ऊखीमठ
- 236 श्री यशपालसिंह पुत्र बचनसिंह ग्राम-अजयपुर तहसील जखोली
- 237 श्री राजवीरसिंह पुत्र रणवीरसिंह ग्राम-फलाटी तहसील जखेली
- 238 श्री सुजानसिंह पुत्र शेरसिंह ग्राम-जवाड़ी तहसील जखोली
- 239 श्री प्रकाशचन्द्र पुत्र कुन्जी लाल ग्राम-ल्वाणी तहसील ऊखीमठ
- 240 श्री प्रकाशसिंह पुत्र सुजानसिंह ग्राम-जवाड़ी तहसील जखोली
- 241 श्री रघुवीरसिंह पुत्र केदारसिंह ग्राम-त्युंखर तहसील जखोली
- 242 श्री खुशालसिंह पुत्र ज्ञानसिंह ग्राम-थाती वडमा तहसील जखेली
- 243 श्री चण्डीप्रसाद पुत्र बलीराम ग्राम-स्युंड तहसील रुद्रप्रयाग
- 244 श्री यदुवीरसिंह पुत्र वालगोविन्दसिंह ग्राम-तैला तहसील जखोली
- 245 श्री विनोद कपरुवान पुत्र हीरासिंह ग्राम-जलई तहसील ऊखीमठ

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

असाधारण गजट

विधायी परिशिष्ट

भाग-2, खण्ड (ख)

(केन्द्रीय अध्यादेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 13 जुलाई, 1990

आषाढ 22, 1912 शक सम्वत्

(भारत सरकार के असाधारण राजपत्र, भाग-11, खण्ड-3, उपखण्ड(1) के

दिनांक 18 मार्च, 1990 का पुनः प्रकाशन)

उत्तर प्रदेश सरकार

गृह (पुलिस) अनुभाग-5

संख्या जी0आई0 26 आर/छ-पु-1262-87

लखनऊ 13, जुलाई, 1990

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 28 मार्च, 1990

सा0 का0 नि0 404(अ):-केन्द्रीय सरकार, आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुध नियम, 1962 का (जिने इसमें इनके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :-

1- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयुध (संशोधन) नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होंगे।

2- उक्त नियमों में, --

(i) अनुसूची 2 में, मद संख्या 3 और उसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात :-

| मद संख्या | प्रयोजन | अनुसूची (I) परिभाषित आयुधों/ गोला बारूद के संवर्ग | स्थान/ (ख) व्यक्तियों में निवास करने | अनुज्ञापन प्राधिकारी भारत का राजदूत | क्षेत्र जिसके लिए अनुदत्त उसका कोई विनिर्दिष्ट भाग | नवीकरण प्राधिकारी अनुज्ञापन प्राधिकारी या कोई | प्रारूप 10 | शर्त |
|-----------|--|---|--|--|--|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | संरक्षा/ आखेट/ निशाना लगाने के अभ्यास / प्रदर्शन के लिए अर्जन/ कब्जा/ वहन और उपयोग | (क) 1 (ख) 1 (ग) 3,5,6 | सम्पूर्ण भारत में परिभाषित वास्तविक पर्यटकों की दशा में यदि पर्यटक का आगमन स्थान (ग) धारा (10) (ख) में परिभाषित वास्तविक पर्यटकों की दशा में (ग) धारा (10) (ख) में परिभाषित वास्तविक पर्यटकों की दशा में (ग) धारा (10) (ख) में परिभाषित वास्तविक पर्यटकों की दशा में | केन्द्रीय सरकार का गृह मंत्रालय | सम्पूर्ण भारत या उसका कोई विनिर्दिष्ट भाग | सम्पूर्ण भारत या उसका कोई विनिर्दिष्ट भाग | 3 | .. |
| | | | (10) (ख) में परिभाषित वास्तविक पर्यटकों की दशा में यदि पर्यटक का आगमन स्थान (ग) धारा (10) (ख) में परिभाषित वास्तविक पर्यटकों की दशा में (ग) धारा (10) (ख) में परिभाषित वास्तविक पर्यटकों की दशा में | जिला मजिस्ट्रेट | समस्त जिला या उसका अधिकांश भाग | जिला मजिस्ट्रेट | 3/4 | .. |
| | | | (10) (ख) में परिभाषित वास्तविक पर्यटकों की दशा में यदि पर्यटक का आगमन स्थान (ग) धारा (10) (ख) में परिभाषित वास्तविक पर्यटकों की दशा में (ग) धारा (10) (ख) में परिभाषित वास्तविक पर्यटकों की दशा में | (I) राज्य सरकार या उस सरकार का विशेष अधिकारी | सम्पूर्ण राज्य या उसका कोई विनिर्दिष्ट भाग | कोई नवीकरण नहीं जिला मजिस्ट्रेट | 3/4 | अनुज्ञापन केवल छः मास की अवधि के लिए विधिमानी होगी तथा आखेट तथा कब्जा रखने के प्रयोजन के लिए अनुदत्त की निष्पत्ति। |
| | | (ग)3 | (11) सम्पूर्ण भारत में कोई अन्य स्थान है | जिला मजिस्ट्रेट (11) धारा (1) (ख) के अधीन अधिसूचित ऐसे देश का वह पर्यटक या मिशन का | सम्पूर्ण राज्य या उसका कोई विनिर्दिष्ट भाग | जिला मजिस्ट्रेट कोई नवीकरण नहीं | 3/4 | अनुज्ञापन के लिए अनुदत्त की निष्पत्ति। |
| | | | (क) नेपाल में निवास करने वाले व्यक्तियों की दशा में | नेपाल के राजदूत अथवा जिला मजिस्ट्रेट या केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त कोई अन्य अधिकारी | भारत या उसका विनिर्दिष्ट भाग | वही जो अनुज्ञापन प्राधिकारी या कोई अन्य प्राधिकारी है जो इस प्रकार की अनुदत्त करने के लिए सशक्त है | 111 | .. |
| | | | | | | | | के लिए ही अनुदत्त की जाएगी। |

| | | | | | | |
|--------------|------------|---|---------------------------------------|--|--|--------|
| (घ) (ग) | 1 (ख) 1 | छूट प्राप्त व्यक्तियों के प्रतिधारकों की दशा में | केन्द्रीय सरकार का गृह मंत्रालय | भारत या उसका कोई विनिर्दिष्ट भाग | राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से इस निमित्त सशक्त कोई अधिकारी | 3-क .. |
| (ड) 3,5,6 | (1) (घ), | छूट प्राप्त व्यक्तियों के प्रतिधारकों की दर्शा में (I) जिला | जिला मजिस्ट्रेट | समस्त जिला या उसकी अधिकारिता का क्षेत्र या उसकी अधिकारिता का कोई विनिर्दिष्ट भाग | जिला मजिस्ट्रेट | 3-क .. |
| | (II) | राज्य | जिला मजिस्ट्रेट | सम्पूर्ण राज्य या उसका कोई विनिर्दिष्ट भाग | जिला मजिस्ट्रेट | 3-क .. |
| | (III) | सम्पूर्ण भारत | राज्य सरकार | सम्पूर्ण भारत या उसका कोई विनिर्दिष्ट भाग | जिला मजिस्ट्रेट | 3-क |

(II) अनसूची 3 में,

(क) प्रारूप 3 में शर्त सं0-4-क के स्थान, पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात् :-

“4-क- कोई ऐसा अनुज्ञप्तिधारी, जिसके पास ऐी आयुध अनुज्ञप्ति है, जो भारत में सर्वत्र विधिमान्य है, और जो ऐसे राज्य में जहां वह सामान्यतया निवास करता है, बाहर किसी स्थान को अनुज्ञप्ति शस्त्र या शस्त्रों को वहन करता है, ऐसे स्थान पर अपने आगमन के 48 घंटे के भीतर उस स्थान पर अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाने के भारसाधक आफिसर या पुलिस अधीक्षक को, उस स्थान पर अपने आगमन के तथ्य और किसी ऐसे शस्त्र की विशिष्टियों की सूचना लिखित में देगा।”

(ख) प्रारूप-3 में शर्त सं0 3-क के स्थान, पर निम्नलिखित शर्म रखी जाएगी, अर्थात् :-

“3-क- कोई अनुज्ञप्तिधारी, जिसके पास ऐसी आयुध अनुज्ञप्ति

है, जो भारत में सर्वत्र विधिमान्य है, और जो ऐसे राज्य में जहां वह सामान्यतया निवास करता है, बाहर किसी स्थान को अनुज्ञप्ति शस्त्र या शस्त्रों को वहन करता है, ऐसे स्थान पर अपने आगमन के 48 घंटे के भीतर उस स्थान पर अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाने के भारसाधक आफिसर या पुलिस अधीक्षक को उस स्थान पर अपने आगमन के तथ्य और किसी ऐसे शस्त्र की विशिष्टियों की सूचना लिखित देगा।”

(सं० वी-11026/20/89-आयुध)
अशोक कुमार वर्मा, संयुक्त सचिव।

वाद टिप्पणी :

मूल नियम सा० का० नि० सं० 987-ए, तारीख 13 जुलाई, 1962 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए :-

- 1—सा० का० नि० 326, तारीख 30.1.1963
- 2—सा० का० नि० 633, तारीख 23.4.1965
- 3—सा० का० नि० 1006, तारीख 16.7.1965
- 4—सा० का० नि० 1461, तारीख 225.4.1967
- 5—सा० का० नि० 266, तारीख 7.2.1969
- 6—सा० का० नि० 2475, तारीख 22.10.1969
- 7—सा० का० नि० 1689, तारीख 9.9.1970
- 8—सा० का० नि० 278, तारीख 17.2.1975
- 9—सा० का० नि० 73, तारीख 1.7.1975
- 10—सा० का० नि० 462 (अ), तारीख 11.8.1976
- 11—सा० का० नि० 1242, तारीख 11.8.1976
- 12—सा० का० नि० 695 (अ), तारीख 8.8.1987
- 13—सा० का० नि० 52 (अ), तारीख 24.1.1989

आज्ञा से,
ए० के० रस्तोगी,
गृह सचिव,
उ० प्र० शासन।

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग-5 लखनऊ:दिनांक :- 21 अप्रैल, 1999

विषय : शस्त्र लाइसेंस प्रपत्र-।।। पर स्वीकृत अनिषद्ध
बोर के आग्नेयास्त्रों की वैधता सीमा उत्तर प्रदेश
के आगे बढ़ाया जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।

महोदय,

उपर्युक्त विषय शासनादेश संख्या 3829
आर/छः-पु0-51262/87, दिनांक 11 अक्टूबर, 1995 की ओर
आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है
कि शस्त्रों की वैधता सीमा बढ़ाने हेतु शासन को निम्नांकित बिन्दुओं
के अनुसार परीक्षण करके अपेक्षित सूचना सहित समुचित प्रस्ताव ही
भेजने का कष्ट करें।

1. मामला शासन को सन्दर्भित करने के पूर्व आवेदक द्वारा
सीमा विस्तार के प्रयोजन हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र में
अंकित तथ्यों की तथा विशेष कर लाईसेंस की व्यापार की
जिला स्तर पर भली-भांति जांच करा ली जाय तथा
आवश्यकतानुसार पुष्टि स्वरूप वांछित प्रमाण/अभिलेख
भी प्राप्त कर लिये जाय। एवं सीमा विस्तार की
आवश्यकता वास्तविक एवं औचित्य सहित पाये जाने पर
पूर्ण रूप से संतुष्ट होने की दशा में ही शासन को प्रस्ताव
भेजा जाय।
2. चूंकि लाइसेंस निर्गत होने के बाद शस्त्र प्राप्त/क़य कर
अंकित कराये बिना लाइसेंस की उपयोगिता शून्य रहती
है। अतः प्रस्ताव भेजे जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर

लिया जाय कि निर्गत लाइसेन्स पर प्राप्त/कय किये गये आग्नेयास्त्र का अंकन अवश्य करा लिया गया हो।

3. चूंकि उत्तर प्रदेश तक की सीमा के लिये आग्नेयास्त्र लाइसेन्स निर्गत करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट स्वयं सक्षम है। अतः शासन को प्रस्ताव भेजे जाने के पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त लाइसेन्स की वैधता सीमा उत्तर प्रदेश तक अवश्य हो। अन्यथा जिले/मण्डल तक की सीमा वाले लाइसेन्सी की वैधता सीमा पहले उत्तर प्रदेश तक किये जाने के बारे में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विचार किये जाने के बारे में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विचार किये जाने के बाद ही प्रस्ताव शासन को अग्रेत्य हेतु भेजे जायं।
4. उपर्युक्त अनुसार प्रस्ताव पूर्ण एवं परिपक्व होने के बाद आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र (रु0 1.50 के टिकट सहित), लाइसेंस की छायाप्रति सीमा विस्तार की आवश्यकता की पुष्टि स्वरूप यथोचित प्रमाण/अभिलेख एवं जिला मजिस्ट्रेट की स्पष्ट एवं समुचित आख्या तथा संस्तुति सहित ही प्रकरण शासन को संदर्भित किये जायं।
5. आवेदक को स्वीकृत अन्य शस्त्र लाइसेंसो, एवं उनकी सीमा विवरण भी उपलब्ध कराया जाय।

2— बहुधा शासन के उक्त निर्देशों के अनुसार सीमा विस्तार के प्रस्ताव जिला मजिस्ट्रेट से नहीं प्राप्त हो रहे हैं, जिसके कारण उनके निस्तारण में कठिनाई एवं विलम्ब हो तो है और प्रकरण लम्बित होने के फलस्वरूप विपरीत प्रभाव पड़ता है।

3— अतएव उक्त शासनादेश में वर्णित व्यवस्थाओं के अनुसार सम्यक परीक्षणोपरान्त आवेदक के व्यवसाय के प्रमाण एवं सीमा विस्तार के समुचित एवं पूर्ण यथोचित प्रस्ताव ही शासन को भेजे जायं। इन आदेशों से जनपद के सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को भली-भांति अवगत कराते हुये तदनुसार कार्यवाही हेतु उन्हें निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(अतुल कुमार)
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

एस0 के0 रिजवी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक: 25 फरवरी, 1991

विषय- आग्नेयास्त्र लाईसेंसों का निलंबन/ निरस्तीकरण।
महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन को इस आशय की शिकायत हुई है कि जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा आग्नेयास्त्रों के निलंबन/निरस्तीकरण की कार्यवाही में अपेक्षित तत्परता नहीं बरती जा रही है, जिसके कारण कभी-कभी शांति व्यवस्था संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

2- इस संबंध में आपका ध्यान समय-समय पर जारी किए गए शासनादेश गोपनीय अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या- 5844 आर / आठ-अनुभाग-5-526/77 दिनांक 27.8.1977, संख्या 3214-आर/आठ-5-667/83 दिनांक 4.6.1983 एवं संख्या- 597 आर/आठ-5-812/83 दिनांक 29.5.1986 की ओर आकृषित करते हुए मुझे यह कहना है कि यदि लाईसेंसिंग प्राधिकारी के समक्ष सामग्री है और उन्हें यह स्पष्ट हो जाता है कि लाईसेंस की पास शस्त्र रहने से शांति अथवा जन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, जो वह (लाईसेंसिंग प्राधिकारी) कारण अभिलिखित करने के उपरान्त सीधे अथवा किसी जांच अथवा लाईसेंस को सुनवाई का अवसर दिए बिना लाईसेंस निलंबित/निरस्त कर सकते हैं, परन्तु उन मामलों में, जिनमें लाईसेंसिंग प्राधिकारी को यह स्पष्ट नहीं है कि लाईसेंस की पास शस्त्र रहने से जनशांति अथवा जन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है और सही स्थिति की जानकारी हेतु जांच लंबित हो तो ऐसी जांच के दौरान लाईसेंस निलंबित नहीं किया जा सकता है।

3- आयुद्ध अधिनियम की धारा 2 (एक) तथा धारा 17 के अनुसार लाईसेंसिंग प्राधिकारी/नवीनीकरण प्राधिकारी आग्नेयास्त्र लाईसेंस निलंबित/निरस्तीकरण करने के लिए सक्षम है।

4- अतः आपसे अनुरोध है कि यदि किसी लाईसेंस की विरुद्ध ऐसी शिकायत प्राप्त होती है, जिससे जन सुरक्षा अथवा शांति व्यवस्था को खतरा है अथवा लाईसेंस में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तो नियमानुसार आग्नेयास्त्र के निलंबन/ निरस्तीकरण के बारे में यदि आप स्वयं लाईसेंसिंग प्राधिकारी/ नवीनीकरण प्राधिकारी हैं तो अपेक्षित कार्यवाही कृपया

तत्परता से करने का कष्ट करें और यदि लाईसेंसी प्राधिकारी राज्य सरकार है तो उस पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए एक आरोप पत्र का आलेख अपने जिले के डी०जी०सी० अथवा अभियोजन अधिकारी से परामर्श करके शासन को भेजे।

5— कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें

भवदीय

एस०के०रिजवी
विशेष सचिव

संख्या—271 आर(1)/6-पु०-5-91-573/91

(1) प्रतिलिपि समस्त मंडलायुक्त, उ०प्र० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(2) गृह (पुलिस) अनुभाग—15 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

गंगाराम
संयुक्त सचिव

वर्ष 2005-06 में जारी किए गये वाहनों के अस्थाई परमिट

| क्र०सं० | प्रमाण पत्र का विवरण | लाभार्थी का नाम व पता | लाईसेंस शुल्क |
|---------|----------------------|---|---------------|
| 1 | सं०-01/07.03.06 | श्री सोहनलाल ग्राम दिवली । वाहन सं०- यू०ए०- 013-0559 | |
| 2 | सं०-02/ 10-6-06 | श्री गोबिन्दसिंह ग्राम मनसूना -यू०पी० 05-0106 | |
| 3 | सं०-03/13-12-06 | श्री जे० पी० घिडियाल रुद्रप्रयाग । वाहन सं०- यू०ए० 013-0733 | |
| 4 | सं०- 04/20-2-07 | श्री दर्शनसिंह ग्राम रूमसी -यू०पी०-07जे-8620, यू०ए० 13-0179. यू०ए० 013-0556. यू०ए० 07सी-8398 यू०ए० 013-0376. यू०ए० 013-0093 | |
| 5 | सं०-05/ 620-2-07 | श्री केवलराम ग्राम जलई -यू०पी०-07जे-2499. | |
| 6 | सं०-06/ 6.3.06 | श्री सुरेन्द्रसिंह ग्राम सेमला -यू०पी०-07जे-1685, यू०ए० 013-0085. यू०ए० 4-0032 यू०ए० 7के-8099 यू०ए० 7के-8099. | |
| 7 | सं०-07/ 21-2-07 | श्री विजयपालसिंह ग्राम मालखी । वाहन सं० -यू०पी०-07 एन-3633, यू०ए० 7ए० -6906, यू०ए० 07एम०-7946. यू०ए० 07डी० 6228, यू०ए० 07क्यू० -5582, . यू०ए० 07ए०-2153, यू०ए० 07ओ- 0400, | |
| 8 | सं०-08/ 24-3-07 | श्री रमेशचन्द्र बहुगुणा । यू०ए० 013-801, | 6620.00 |

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- प्रमुख सचिव, / सचिव उत्तर प्रदेश शासन
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।

अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 26 दिसम्बर, 1997

विषय-

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण प्राप्त करने हेतु दिये जाने वाले आश्रित प्रमाण पत्र के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित शासनादेश सं०-6/2/ 1972 -का०-2 दिनांक 2 जनवरी 1982 तथा संमसंख्यक शासनादेश दिनांक 13 मार्च 1997 को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है के उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 अधि० 1-4/1993 के प्राविधानों से आख्यादित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) में परिभाषित है के असधारित प्रारूप (संलग्न) में सक्षम प्राधिकारी / अधिकारी अर्थात् जिलाधिकारी द्वारा ही असश्रित प्रमाण पत्र निर्गत किये जायें।

अनुरोध है कि उपरोक्त से अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों / अधिकारियों का चयन करते हुये तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

ह० / -
(सुधीर कुमार)
सचिव।

संख्या-4/3/82-का०-2/9997, तददिनांकित।

- प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राजसपाल जी उत्तर प्रदेश शासन।
 - 2- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन।
 - 3- सचिव, विकलांग कल्याण विभाग।

- 4- निदेशक विकलांग कल्याण निदेशालय ,उत्तर प्रदेश।
- 5- सचिव,लोक सेवा आयोग,उत्तर प्रदेश इलाहाबाद/अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ,उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 6- महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 7- सचिव,विधान सभा/विधान परिषद ,उत्तर प्रदेश।
- 8- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

ह0/-26-12-97
(एस0एल0 केसरवानी)
विशेष सचिव।

संख्या- 121/अट्टारह-एम0बी (2005-2006)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित अधिनियम 1993 व शा0 सं0 04/3/82-का-2/1997 दिनांक 26 दिसंबर 1997 (जैसा कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत उत्तराखण्ड में लागू है) के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री /स्व0 श्री ग्राम
..... पटवारी क्षेत्र तहसील..... जनपद.....
.....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित व भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित)
..... पुत्र/पुत्री/.....पौत्र/पौत्री./अविवाहित पौत्री उपरांकित अधिनियम 1993 के ही प्राविधानों के अनुसार उक्त स्व0 श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)..... के आश्रित हैं।
दिनांक:

हस्ताक्षर

पदनाम

कोषागार रुद्रप्रयाग से राज्य राजस्व से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों की सूची।

“ अनुलग्नक ” 1

| क्र० सं० | पी०पी०ओ० नं० | स्वतंत्रता सेनानी पेंशनर्स का नाम | पिता का नाम | पेंशन प्रारम्भ होने का दिनांक | स्थाई पता ग्राम व पोस्ट आफिस। |
|----------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | पोल स्टेट / 20902 | श्री इन्द्रसिंह रावत | स्व० श्री जोगी सिंह | 01-08-1973 | ग्राम लोदला, जाखणी रुद्रप्रयाग। |
| 2. | पोल स्टेट / 19894 | श्री षिवसिंह | स्व० दामोदरसिंह। | 25-08-1973 | ग्राम लोईगढ़, पो० जखोली |
| 3. | पोल स्टेट / 34376 | श्री धनसिंह | स्व० रूपसिंह | 01-07-1981 | ग्राम व पो० मक्कूमठ |
| 4. | पोल / स्टेट / 21397 | श्री देवसिंह | स्व० मोतीसिंह | 04-03-1974 | ग्राम-कोर्ल पो० बसुकेदार |

अनुलग्नक ” 2

| क्र०सं० | पी०पी०ओ० नं० | पारिवारिक पेंशनर्स का नाम | पति का नाम (स्व० सं०सं०) | पेंशन प्रारम्भ होने का दिनांक | पेंशनर्स का सम्बन्ध | स्थाई पता ग्राम व पो० |
|---------|---------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1. | पोल / स्टेट / 31859 | श्रीमती सुरेष्मिदेवी | स्व० गजपालसिंह | 28-5-1979 | पति | ग्राम-गीड़, पो० तिलवाड़ा |
| 2. | पोल / स्टेट / 37192 | श्रीमती सुभागा देवी | स्व० जंगलसिंह | 11-6-1974 | पति | ग्राम-चोपड़ा पो० गन्धारी |
| 3. | पोल / स्टेट / 33793 | श्रीमती जुपली देवी | स्व० ज्ञानसिंह गुसाई | 04-11-1980 | पति | ग्राम वीरा पो० मयकोटी |
| 4. | पोल / स्टेट / 20900 | श्रीमती सुनदेई देवी | स्व० मुकुन्द सिंह | 05-09-1973 | पति | ग्राम व पो० जाखणी |
| 5. | पोल / स्टेट / 19239 | श्रीमती गीतादेवी | स्व० थैपलसिंह | 04-06-1973 | पति | ग्राम मलनाऊ पो० जाखणी |
| 6. | पोल / स्टेट / 13139 | श्रीमती भागा देवी | स्व० रामचन्द्र | 26-07-1972 | पति | ग्राम-जलई पो० सुरसाल |
| 7. | पोल / स्टेट / 29123 | श्रीमती जानकी देवी | स्व० जगतसिंह | 04-03-1997 | पति | ग्राम व पो० सुरसाल |
| 8. | पोल / स्टेट / 33439 | श्रीमती किरथी देवी | स्व० छीलासिंह राणा | 06-12-1978 | पति | ग्राम व पो० कमेड़ा |
| 9. | पोल / स्टेट / 33667 | श्रीमती कुंवरी देवी | स्व० गबर सिंह | 07-01-1980 | पति | ग्राम बड़ेथ रयासूं |
| 10. | पोल / स्टेट / 29499 | श्रीमती जस्सी देवी | स्व० गबर सिंह | 11-03-1976 | पति | ग्राम उच्छोला पो० वक्सीर |
| 11. | पोल / स्टेट / 36949 | श्रीमती कीड़ीदेवी | स्व० दीवानसिंह | 30-04-1986 | पति | ग्राम ग्वाड़थपली पो० बीरों |

| | | | | | | |
|-----|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|--------------------------------|
| 12. | पोल/स्टेट /37872 | श्रीमती कबोतरा देवी | स्व0 बचन सिंह राणा | 28-07-1985 | पति | ग्राम-व पो0 रतूडा |
| 13. | पोल/स्टेट /24991 | श्रीमती सीता देवी | स्व0 आषा सिंह | 15-06-1974 | पति | ग्राम-ग्वाडथापली पो0 बीरों |
| 14. | पोल/स्टेट /34180 | श्रीमती दर्षनी देवी | स्व0बहादुर सिंह | 01-11-1980 | पति | ग्राम आरस्यूं पो0 काण्डई |
| 15. | पोल/स्टेट /27846 | श्रीमती रामदेई देवी | स्व0 ज्ञान सिंह | 08-08-1975 | पति | ग्राम-अरखुण्ड,पो0 बसुकेदार |
| 16. | पोल/स्टेट /37187 | श्रीमती मुखारी देवी | स्व0 कातिगू | 19-02-1987 | पति | ग्राम व पो0 कण्डारा |
| 17. | पोल/स्टेट /28622 | श्रीमती गंगोत्री देवी | स्व0 जोधसिंह रावत | 20-12-1975 | पति | ग्राम-लदोली पो0 लदोली |
| 18. | पोल/स्टेट /19243 | श्रीमती गोदावरीदेवी | स्व0 धनसिंह नेगी | 1-9-2006 | पति | ग्राम फलई पो0 अगस्त्यमुनी |
| 19. | पोल/स्टेट /34747 | श्रीमती रूकमणी देवी | स्व0 अवतार सिंह | 16-11-1981 31-05-1976 | पति | ग्राम-दिवली पो0लदोली |
| 20. | पोल/स्टेट /30154 | श्रीमती मालदेई देवी | स्व0 इन्द्र सिंह | 31-05-1976 | पति | ग्राम भुनालगांव पो0 बक्सौर |
| 21. | पोल/स्टेट /37765 | श्रीमती जानकी देवी | स्व0 षम्भूप्रसाद | 10-03-1987 | पति | ग्राम ग्राम व पो लमगोण्डी |
| 22. | पोल/स्टेट /37001 | श्रीमती रामदेई देवी | स्व0 दयाल सिंह | 06-12-1985 | पति | ग्राम व पो0 परकण्डी |
| 23. | पोल/स्टेट /24430 | श्रीमती माघी देवी | स्व0 कान्ता सिंह | 25-02-1984 | पति | ग्राम जग्गी पो0 राऊलेंक |
| 24. | पोल/स्टेट /19590 | श्रीमती लीलादेवी | स्व0 मोहन सिंह | 28-05-1973 | पति | ग्राम जौंदला पो0 कुरझण |
| 25. | पोल/स्टेट /13142 | श्रीमती पूर्णी देवी | स्व0 बचन सिंह | 18-08-1972 | पति | ग्राम व पो0 धिमतोली |
| 26. | पोल/स्टेट /20570 | श्रीमती मालदेई देवी | स्व0 बचनसिंह | 01-07-1980 | पति | ग्राम काण्डा, पो0 सौराखाल |
| 27. | पोल/स्टेट /21454 | श्रीमती बचनी देवी | स्व0 इन्द्रसिंह | 30-11-1973 | पति | ग्राम क्यूडी पो0 खडपतियाखाल |
| 28. | यू0सी01/ 084/0048 03 | श्रीमती जमोत्रीदेवी | स्व0 सजन सिंह | 12-01-2005 | पति | ग्राम नाला पो0 गुप्तकाषी |

प्रभारी अधिकारी,

कृते-जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग

परिशिष्ट-13

दिनांक मई 2005 से 31-05-2006 तक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को निर्गत प्रमाण पत्रों का विवरण जनपद रुद्रप्रयाग ।

| क्र. सं. | प्रमाण पत्र का क्रमांक | स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम | आश्रित का विवरण, जिन्हें प्रमाण पत्र निर्गत किया गया । |
|----------|------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ऊखीमठ | श्री ष्यामसिंह पुत्र केरासिंह ग्राम भणज पटवारी क्षेत्र बाडव | श्री अजीतसिंह पुत्र पूर्णसिंह । |
| 2 | | श्री ष्यामसिंह पुत्र केरासिंह ग्राम भणज पटवारी क्षेत्र बाडव | श्री सूरजसिंह पुत्र पूर्णसिंह । |
| 3 | | श्री ष्यामसिंह पुत्र केरासिंह ग्राम भणज पटवारी क्षेत्र बाडव | बु० सुचिता पुत्री पूर्णसिंह । |
| 4 | | श्री ष्यामसिंह पुत्र जवाहरसिंह ग्राम खुमेरा पटवारी क्षेत्र गुप्तकाषी । | श्री राहुल पुत्र चित्रसिंह । |
| 5 | | श्री ष्यामसिंह पुत्र जवाहरसिंह ग्राम खुमेरा पटवारी क्षेत्र गुप्तकाषी । | हरीष पुत्र चित्रसिंह । |
| 6 | | श्री ष्यामसिंह पुत्र जवाहरसिंह ग्राम खुमेरा पटवारी क्षेत्र गुप्तकाषी । | बु० सरिता पुत्री श्री चित्रसिंह । |
| 7 | | स्व० पूरनसिंह पुत्र श्री पदमसिंह ग्राम क्यूंजा पटवारी क्षेत्र भटवाडी सुनार । | गौतम पुत्र खुषालसिंह । |
| 8 | | स्व० पूरनसिंह पुत्र श्री पदमसिंह ग्राम क्यूंजा पटवारी क्षेत्र भटवाडी सुनार । | उत्तमसिंह पुत्र खुषालसिंह । |
| 9 | | स्व० कृपालसिंह पुत्र श्री माधोसिंह ग्राम भणज प० क्षे० बाडव | देवेन्द्रसिंह पुत्र कुंवरसिंह । |
| 10 | | स्व० कृपालसिंह पुत्र श्री माधोसिंह ग्राम भणज प० क्षे० बाडव | सन्दीपसिंह पुत्र घूररासिंह । |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 11 | | स्व० श्री बहादुरसिंह पुत्र श्री षेरसिंह ग्राम परकण्डी पटवारी क्षेत्र परकण्डी । | अषोक सिंह पुत्र री बुद्धि सिंह |
| 12 | | स्व० श्री भूपालसिंह पुत्र भवानसिंह ग्राम जावरी | मुकेशसिंह पुत्र कुंवरसिंह । |
| 13 | | स्व० श्री भूपालसिंह पुत्र भवानसिंह ग्राम जावरी | राकेशसिंह पुत्र कुंवरसिंह । |
| 14 | | स्व० सपनसिंह पुत्र प्रभुदयाल ग्राम नाला प० क्षेत्र गुप्तकाषी | श्री कुलदीपसिंह पुत्र श्री लखपतसिंह |
| 15 | | स्व० बचनराम पुत्र श्री आत्माराम ग्राम कण्डारा प० क्षेत्र भटवाडर सुनार | श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र ओमप्रकाश । |
| 16 | | स्व० श्री भूपालसिंह पुत्र बागसिंह ग्राम उथिण्ड प० क्षे० परकण्डी । | श्री विजयपालसिंह पुत्र भूपालसिंह । |
| 17 | | स्व० पूरनसिंह पुत्र श्री पदमासिंह ग्राम क्यूंजा पटवारी क्षेत्र भटवाडी सुनार । | श्री गौरव नेगी पुत्र श्री तेजपालसिंह । |
| 18 | | स्व० पूरनसिंह पुत्र श्री पदमासिंह ग्राम क्यूंजा पटवारी क्षेत्र भटवाडी सुनार । | वु० कंजन पुत्री तेजपालसिंह । |
| 19 | | स्व० पूरनसिंह पुत्र श्री पदमासिंह ग्राम क्यूंजा पटवारी क्षेत्र भटवाडी सुनार । | वु० गरिमा पुत्री श्री तेजपालसिंह । |
| 20 | | श्री जगतसिंह पुत्र श्री षेरसिंह ग्राम सुरसाल प० क्षे० भीरी | वु० जंयन्ती पुत्री श्री गजपालसिंह |
| 21 | | श्री जगतसिंह पुत्र श्री षेरसिंह ग्राम सुरसाल प० क्षे० भीरी | वु० सीमा पुत्री श्री गजपालसिंह । |
| 22 | | श्री जगतसिंह पुत्र श्री षेरसिंह ग्राम सुरसाल प० क्षे० भीरी | वु० रेखा पुत्री श्री गजपालसिंह |
| 23 | | स्व० श्री संग्रामसिंह | श्री शिशुपाल सिंह पुत्र कुंवर सिंह |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | पुत्र श्री लालसिंह ग्राम तिनसेली प0 क्षे0 भीरी तहसील ऊखीमठ जनपद रुद्रप्रयाग | |
| 24 | | स्व0 श्री संग्रामसिंह पुत्र श्री लालसिंह ग्राम तिनसेली प0 क्षे0 भीरी तहसील ऊखीमठ जनपद रुद्रप्रयाग | कु0 लक्ष्मी पुत्री री कुंवर सिंह (अविवाहित) |
| 25 | | स्व0 श्री संग्रामसिंह पुत्र श्री लालसिंह ग्राम तिनसेली प0 क्षे0 भीरी तहसील ऊखीमठ जनपद रुद्रप्रयाग | कुंवर सिंह पुत्र श्री संग्राम सिंह |
| 26 | | स्व0 श्री बाग सिंह पुत्र स्व0 श्री सुंदर सिंह ग्राम चौमासी तहसील ऊखीमठ जनपद रुद्रप्रयाग | सतेन्द्र सिंह पुत्र श्री दलवीर सिंह |
| | | स्व0 श्री बाग सिंह पुत्र स्व0 श्री सुंदर सिंह ग्राम चौमासी तहसील ऊखीमठ जनपद रुद्रप्रयाग | श्री योगम्बर सिंह पुत्र श्री दलवीर सिंह |
| 27 | | स्व0 श्री श्याम सिंह पुत्र श्री माधोसिंह ग्राम परकण्डी धरसाल तहसील ऊखीमठ जनपद रुद्रप्रयाग | श्री प्रमोद सिंह पुत्र श्री कुंवर सिंह |
| 28 | | स्व0 श्री बचनराम पुत्र श्री आत्माराम ग्राम कण्डारा तहसील ऊखीमठ जनपद रुद्रप्रयाग | कु0 रचना पुत्री श्री हरीशचन्द्र (अविवाहित) |
| 29 | | स्व0 श्री बचनराम पुत्र श्री आत्माराम ग्राम कण्डारा तहसील ऊखीमठ जनपद रुद्रप्रयाग | कु0 कलावती पुत्री श्री हरीशचन्द्र (अविवाहित) |
| 30 | | स्व0 श्री बचनराम पुत्र श्री आत्माराम ग्राम | कविता पुत्री श्री हरीश चन्द्र (अविवाहित) |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | कण्डारा तहसील ऊखीमठ जनपद रुद्रप्रयाग | |
| 31 | | स्व० श्री बचनराम पुत्र श्री आत्माराम ग्राम कण्डारा तहसील ऊखीमठ जनपद रुद्रप्रयाग | कु० नीलम पुत्री हरीशचन्द्र (अविवाहित) |
| 32 | | स्व० श्री बचनराम पुत्र श्री आत्माराम ग्राम कण्डारा तहसील ऊखीमठ जनपद रुद्रप्रयाग | कु आशा पुत्री हरीशचन्द्र (अविवाहित) |
| 33 | | स्व श्री रामचन्द्र सिंह पुत्र श्री देव सिंह ग्राम जलई तहसील ऊखीमठ जनपद रुद्रप्रयाग | श्रीमती भागा देवी पत्नी श्री रमचन्द्र सिंह |
| 34 | | स्व श्री रामचन्द्र सिंह पुत्र श्री देव सिंह ग्राम जलई तहसील ऊखीमठ जनपद रुद्रप्रयाग | उत्तम सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह |
| 35 | | स्व श्री रामचन्द्र सिंह पुत्र श्री देव सिंह ग्राम जलई तहसील ऊखीमठ जनपद रुद्रप्रयाग | कु० पूजा पुत्री श्री भगवान सिंह (अविवाहित) |
| 36 | | स्व श्री रामचन्द्र सिंह पुत्र श्री देव सिंह ग्राम जलई तहसील ऊखीमठ जनपद रुद्रप्रयाग | सूरज सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह |
| 37 | | स्व श्री रामचन्द्र सिंह पुत्र श्री देव सिंह ग्राम जलई तहसील ऊखीमठ जनपद रुद्रप्रयाग | भगवान सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र सिंह |
| 38 | | स्व लबज हसी पुत्र श्री स्व बहादुर सिंह | कु० बीना बिष्ट पुत्री श्री जयवीर सिंह अविवाहित |

| | | | |
|----|--------------|---|--|
| | | ग्राम किणजाणी तहसील ऊखीमठ जनपद रुद्रप्रयाग | |
| 39 | | स्व लबज हसी पुत्र श्री स्व बहादुर सिंह ग्राम किणजाणी तहसील ऊखीमठ जनपद रुद्रप्रयाग | प्रकाश सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह |
| 40 | | स्व लबज हसी पुत्र श्री स्व बहादुर सिंह ग्राम किणजाणी तहसील ऊखीमठ जनपद रुद्रप्रयाग | राहुल बिष्ट पुत्री जयबीर सिंह |
| 41 | जखोली | स्व0 श्री इन्द्र सिंह राणा, ग्राम भुनालगांव पटवारी वृ0 स्यूर बांगर | श्री सुरेन्द्र सिंह राणा पुत्र स्व0 श्री इन्द्र सिंह राणा |
| 42 | | स्व0 श्री नारायाण सिंह रौतेला, ग्राम पांजणा प0 वृ0 पांजणा | कु0 रुचता पुत्री श्री उमेद सिंह |
| 43 | | स्व0 श्री नारायाण सिंह रौतेला ग्राम पांजणा प0 वृ0 पांजणा | श्री मनमोहन सिंह पुत्र श्री उम्मेद सिंह |
| 44 | | स्व0 श्री नारायाण सिंह रौतेला | श्री मानवेन्द्र सिंह पुत्र श्री उम्मेद सिंह |
| 45 | | स्व0 श्री नारायाण सिंह रौतेला ग्राम पांजणा प0 वृ0 पांजणा | कु0 सुचिता पुत्री श्री उम्मेद सिंह |
| 46 | | स्व0 श्री नारायाण सिंह रौतेला ग्राम पांजणा प0 वृ0 पांजणा | कु0 अनुपमा पुत्री श्री उम्मेद सिंह |
| 47 | | स्व0 श्री इन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री निमकू ग्राम मोसड (बांसिल) प0 वृ0 स्यांरी | श्री सत्ये सिंह पुत्र श्री शिव सिंह |
| 48 | | स्व0 श्री इन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री निमकू ग्राम मोसड (बांसिल) | श्री सुजान सिंह पुत्र श्री बीर सिंह |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | प० वृ० स्यांरी | |
| 49 | | स्व० श्री इन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्री निमकू ग्राम मोसड (बांसिल) प० वृ० स्यांरी | श्री जगत सिंह पुत्र श्री बीर सिंह |
| 50 | | स्व० श्री इन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्री निमकू ग्राम मोसड (बांसिल) प० वृ० स्यांरी | श्री राम सिंह पुत्र श्री मनवर सिंह |
| 51 | | स्व० श्री इन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्री निमकू ग्राम मोसड (बांसिल) प० वृ० स्यांरी | श्री भगत सिंह पुत्र श्री मनवर सिंह |
| 52 | | स्व० श्री नारायण सिंह रौतेला पुत्र स्व० श्री दवान सिंह रौतेला ग्राम पांजणा प० वृ० पांजणा तहसील जखोली | श्री शुभम रौतेला पुत्र श्री बलवीर सिंह रौतेला |
| 53 | | स्व० श्री नारायण सिंह रौतेला पुत्र स्व० श्री दवान सिंह रौतेला ग्राम पांजणा प० वृ० पांजणा तहसील जखोली | श्री सूरत सिंह रौतेला पुत्र श्री दयाल सिंह रौतेला |
| 54 | | स्व० श्री नारायण सिंह रौतेला पुत्र स्व० श्री दवान सिंह रौतेला ग्राम पांजणा प० वृ० पांजणा तहसील जखोली | श्री दीपक सिंह रौतेला पुत्र श्री दयाल सिंह रौतेला |
| 55 | | स्व० श्री नारायण सिंह रौतेला पुत्र स्व० श्री दवान सिंह रौतेला ग्राम पांजणा प० वृ० पांजणा तहसील जखोली | श्री शुभाष रौतेला पुत्र श्री प्रताप सिंह रौतेला |
| 56 | | स्व० श्री नारायण सिंह | श्री सुबोध सिंह रौतेला पुत्र श्री प्रताप सिंह |

| | | | |
|----|--------------------|--|---|
| | | रौतेला पुत्र स्व० श्री दवान सिंह रौतेला ग्राम पांजणा प० वृ० पांजणा तहसील जखोली | रौतेला |
| 57 | | स्व० श्री नारायण सिंह रौतेला पुत्र स्व० श्री दवान सिंह रौतेला ग्राम पांजणा प० वृ० पांजणा तहसील जखोली | कु० मनीषा पुत्री श्री प्रताप सिंह रौतेला |
| 58 | | स्व० श्री नारायण सिंह रौतेला पुत्र स्व० श्री दवान सिंह रौतेला ग्राम पांजणा प० वृ० पांजणा तहसील जखोली | कु० पूजा पुत्री श्री बलवीर सिंह |
| 59 | | स्व० श्री नारायण सिंह रौतेला पुत्र स्व० श्री दवान सिंह रौतेला ग्राम पांजणा प० वृ० पांजणा तहसील जखोली | कु० वन्दना पुत्री श्री बलवीर सिंह |
| 60 | | स्व० श्री नारायण सिंह रौतेला पुत्र स्व० श्री दवान सिंह रौतेला ग्राम पांजणा प० वृ० पांजणा तहसील जखोली | कु० मन्दाकिनी पुत्री श्री बलवीर सिंह |
| 61 | रुद्रप्रयाग | श्री रघुनाथ सिंह पुत्र स्व० श्री केशर सिंह ग्राम पांजणा, जखोली | श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री रघुनाथ सिंह ग्राम पांजणा (पुत्र) |
| 62 | | श्री अवतार सिंह पुत्र श्री देव सिंह निवास दिऊली पटवारी वृत्त नगरासू, रुद्रप्रयाग | जगमोहन सिंह पुत्र स्व० री अवतार सिंह निवासी दिऊली पटवारी वृ० नगरासू (पुत्र) |
| 63 | | श्री ज्ञान सिंह पुत्र श्री केदार सिंह निवासी ग्राम बोरा, रुद्रप्रयाग | श्री मनोज सिंह पुत्र श्री नत्था सिंह निवासी ग्राम बोरा (पौत्र) |
| 64 | | श्री तेज सिंह पुत्र श्री सुखा सिंह ऊर्फ सोबन सिंह, जखोली | श्री त्रिलोक सिंह पुत्र श्री तेज सिंह निवासी ग्राम बांसी (पुत्र) |
| 65 | | श्री छिल्क सिंह पुत्र | कु० बन्दना पुत्री श्री जीतपाल सिंह ग्राम |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | श्री मुकुन्द सिंह ग्राम कमेड़ा, रूद्रप्रयाग | कमेड़ा रूद्रप्रयाग (पौत्री) |
| 66 | | श्री जीत सिंह पुत्र स्व० श्री लछन सिंह निवासी ग्राम गडबू, रूद्रप्रयाग | श्री विजय कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम गडबू (पौत्र) |
| 67 | | श्री तेज सिंह पुत्र श्री सुखा सिंह ऊर्फ सोबन सिंह, जखोली | कु० मन्जू पुत्री श्री चत्तर सिंह निवासी ग्राम बांसी (पौत्री) |
| 68 | | श्री नारायण सिंह पुत्र श्री दीवान सिंह निवासी ग्राम पांजणा, जखोली | कु० रुचिता पुत्री श्री उम्मेद सिंह निवासी ग्राम पांजणा (पौत्री) |
| 69 | | श्री नारायण सिंह पुत्र श्री दीवान सिंह निवासी ग्राम पांजणा, जखोली | कु० अनुपमा पुत्री श्री उम्मेद सिंह निवसी (पुत्री) |
| 70 | | श्री नारायण सिंह पुत्र श्री दीवान सिंह निवासी ग्राम पांजणा, जखोली | कु० सुचिता पुत्री उक्त |
| 71 | | श्री आलम सिंह पुत्र श्री जगत सिंह, निवासी ग्राम सारी, रूद्रप्रयाग | श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री बालम सिंह (पुत्र) |
| 72 | | श्री नारायण सिंह पुत्र श्री दीवान सिंह निवासी ग्राम पांजणा, जखोली | श्री मानवेन्द्र सिंह पुत्र श्री उम्मेद सिंह निवासी ग्राम पांजणा (पौत्र) |
| 73 | | श्री नारायण सिंह पुत्र श्री दीवान सिंह निवासी ग्राम पांजणा, जखोली | श्री मनमोहन सिंह पुत्र श्री उम्मेद सिंह निवसी उक्त (पौत्र) |
| 74 | | श्री जय सिंह पुत्र श्री स्वांरिया सिंह निवासी ग्राम सारी, रूद्रप्रयाग | श्री प्रकाश सिंह पुत्र श्री बादर सिंह निवासी ग्राम सारी (पौत्र) |
| 75 | | श्री शिव सिंह पुत्र स्व० श्री दामोदर सिंह निवासी ग्राम खेड़ाखाल, रूद्रप्रयाग | कु० सुनीता सजवाण पुत्री श्री नरेन्द्र सिंह निवसी ग्राम ल्वेगड़ (पौत्री) |
| 76 | | श्री शिव सिंह पुत्र स्व० श्री दामोदर सिंह निवासी ग्राम | कु० अनील सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम ल्वेगड़ |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | खेड़ाखाल, रूद्रप्रयाग | |
| 77 | | श्री नारायण सिंह पुत्र श्री तुला सिंह निवासी ग्राम पुनाड, रूद्रप्रयाग | कु० हिमानी पत्र श्री नरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम पुनाड (पौत्री) |
| 78 | | श्री नारायण सिंह पुत्र श्री तुला सिंह निवासी ग्राम पुनाड | श्री आकाश नेगी पुत्र उक्त (पौत्र) |
| 79 | | श्री छोटिया सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह निवासी ग्राम थपलगांव, रूद्रप्रयाग | श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री शिवराज सिंह निवासी ग्राम मड़ियाणा (पौत्र) |
| 80 | | श्री आलम सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह निवासी ग्राम मड़ियाणा, रूद्रप्रयाग | श्री मुनेश रावत पुत्र श्री शिवराज सिंह निवासी ग्राम मड़ियाणा (पौत्र) |
| 81 | | श्री मदन सिंह पुत्र श्री नैनसिंह निवासी ग्राम फतेहपुर | कु० प्रीती पुत्री श्री जयपाल सिंह निवासी ग्राम जोन्दला (पौत्री) |
| 82 | | श्री मोहन सिंह पुत्र श्री केशर सिंह निवासी ग्राम जोन्दला, रूद्रप्रयाग | कु० प्रीती पुत्री श्री जयपाल सिंह निवासी ग्राम जोन्दला (पौत्री) |
| 83 | | श्री छिलक सिंह पुत्र स्व० श्री मकुन्दर सिंह निवासी ग्राम कमेड़ा, रूद्रप्रयाग | कु० कल्पना पुत्री श्री जीपाल सिंह निवासी ग्राम कमेड़ा (पौत्री) |
| 84 | | श्री छिलक सिंह पुत्र स्व० श्री मकुन्दर सिंह निवासी ग्राम कमेड़ा, रूद्रप्रयाग | श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र उक्त (पौत्री) |
| 85 | | श्री अवतार सिंह पुत्र श्री बल्ली सिंह निवासी ग्राम विजराकोट | कु० कंचना पुत्री श्री भरत सिंह निवासी ग्राम बिजराकोट सारी (पौत्री) |
| 86 | | श्री अवतार सिंह पुत्र श्री बल्ली सिंह निवासी ग्राम विजराकोट | कु० सोनाली पुत्री श्री भरत सिंह निवासी उक्त (पौत्री) |
| 87 | | श्री अवतार सिंह पुत्र श्री बल्ली सिंह निवासी ग्राम | श्री अरुण नेगी पुत्र श्री भरत सिंह उक्त (पौत्र) |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | विजराकोट | |
| 88 | | श्री इन्द्र सिंह पुत्र श्री कलम सिंह निवासी ग्राम मालखी, रुद्रप्रयाग | कु० प्रीति पुत्र श्री उमेश्वर सिंह निवासी मालखी (पौत्री) |
| 89 | | श्री ज्ञान शसिंह पुत्र श्री केदार सिंह निवासी ग्राम बोरा, रुद्रप्रयाग | श्री नत्थासिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह निवासी ग्राम बोरा (पौत्र) |

उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग-6

संख्या-1670 / ।। क0स0वि0-97-30 ईबी 9(1)/91

लखनऊ:दिनांक 24 सितंबर, 1991

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम 1979 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-28 सन् 1979 की धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश केबिल नेटवर्क

(प्रदर्शन) नियामवली 1997

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ

1 (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश केबिल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली 1997 कही जाएगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2- इस नियमावली में -

(क) अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम 1979 से है।

(ख) वित्तीय वर्ष का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

(ग) प्रपत्र का तात्पर्य इस नियमावली के संलग्न प्रपत्र से है।

(घ) केबिल टेलीविजन के मालिक का तात्पर्य केबिल सेवा की व्यवस्था करने वाले केबिल टेलीविजन नेटवर्क के मालिक से है।

(ङ) रजिस्ट्रीकरण कार्ड का तात्पर्य नियम 7 में विहित रजिस्ट्रीकरण कार्ड से है।

(च) कोषागार का तात्पर्य सरकारी कोषागार से है और इसके अंतर्गत उप कोषागार भी है।

केबिल सेवा की व्यवस्था करने की अनुमति देना

3 (1) जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना कोई व्यक्ति केबिल सेवा की व्यवस्था नहीं करेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई व्यक्ति जो केबिल सेवा की व्यवस्था करने का इच्छुक हो ऐसी सेवा की व्यवस्था करने की अनुमति के लिए जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है।

(3) उप नियम 2 के अधीन आवेदन पत्र प्रपत्र 1 में दिया जाएगा।

(4) आवेदन पत्र प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट अपना समाधान कर लेगा कि आवेदक ने समस्त अपेक्षित सूचना दे दी है और ऐसा समाधान हो जाने पर आवेदक को प्रपत्र-2 में एक समय में तीन वित्तीय वर्ष के लिए अनुमति प्रदान करेगा।

परन्तु जिला मजिस्ट्रेट लिखित रूप से अभिलिखित और आवेदक को संसूचित किए जाने वाले कारणों से अनुमति देने से इनकार कर सकता है।

| | |
|---|---|
| अनुमति का नवीनीकरण | <p>(5) जिला मजिस्ट्रेट यथा समय आवेदन पत्र प्राप्त होने के दिनांक से 60 दिन के भीतर उप नियम (4) के अधीन आदेश पारित करेगा।</p> <p>4 (1) जिला मजिस्ट्रेट उसको आवेदन पत्र दिए जाने नियम 3 के अधीन दी गई अनुमति का नवीनीकरण इस अवधि के अवसान के पूर्व एक समय में तीन वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए कर सकता है। ऐसा नवीनीकरण प्रपत्र-2 में दिया जाएगा।</p> <p>(2) उप नियम-1 के अधीन नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र अनुमति की अवधि के लिए अवसान के कम से कम 60 दिन पूर्व प्रपत्र 1 में दिया जाएगा।</p> <p>(3) जिला मजिस्ट्रेट लिखित रूप में अभिलिखित और आवेदक को संसूचित किए जाने वाले कारणों से अनुमति को नवीनीकृत करने से इनकार कर सकता है।</p> <p>(4) उप नियम-3 के अधीन आदेश अनुमति की अवधि के अवसान के पूर्व पारित किया जाएगा।</p> |
| संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ | <p>5- (1) जहां जिला मजिस्ट्रेट नियम 3 के अधीन दी गई अनुमति की अवधि के अवसान के पूर्व नियम 4 के अधीन कोई आदेश पारित करने में विफल रहता है तो ऐसी अनुमति का नवीनीकरण तीन वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए आवेदक को दिया गया समझा जाएगा और उस दशा में जिला मजिस्ट्रेट ऐसा नवीनीकरण प्रपत्र-2 में जारी करेगा।</p> |
| रजिस्ट्रीकरण कार्ड का जारी किया जाना। | <p>6- केबिल टेलीविजन का मालिका प्रपत्र-3 में रजिस्ट्रीकरण कार्ड तीन प्रतियों में तैयार करेगा और उन्हें जिला मनोरंजन कर अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित कराके उसकी प्रथम प्रति आवेदक को जारी की जाएगी। दूसरी प्रति संबंधित मनोरंजन कर अधिकारी को भेजी जाएगी और तीसरी प्रति केबिल टेलीविजन के मालिक द्वारा अपने अभिलेख के लिए रखी जाएगी।</p> |
| रजिस्ट्रकरण को विधि मान्यता | <p>7- रजिस्ट्रेशन कार्ड, ग्राहक जिसके नाम से जारी किया गया है, के लिए विधि मान्य होगा।</p> |
| सब कनेक्शन पर निर्बन्धन | <p>8- किसी ग्राहक को किसी व्यक्ति को जो सब कनेक्शन देने या किसी व्यक्ति के लिए केबिल सेवा की व्यवस्था करने का अधिकार नहीं होगा।</p> |
| किसी ग्राहक से ली जा रही दर के संबंध में सूचना | <p>9- केबिल टेलीविजन का मालिक किसी ग्राहक से उसके द्वारा प्रतिमास ली जा रही दर के संबंध में और ग्राहकों को दिए गए केबिल संयोजन (कनेक्शन) की संख्या के संबंध में लिखित रूप से सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा। जब कभी कोई नया केबिल संयोजन दिया जाता है तो तदर्थ सूचना लिखित रूप से जिला मजिस्ट्रेट को तुरन्त दी जाएगी।</p> |
| रजिस्ट्रर और विवरण तैयार किया जाना और रखा जाना। | <p>10-(1) केबिल टेलीविजन का मालिक प्रपत्र-4 में एक रजिस्टर तैयार करेगा और रखेगा, जिसमें पृथक रूप से प्रत्येक कलेण्डर माह के लिए समस्त प्रवृष्टियां स्तंभवार रखी जाएंगी।</p> <p>(2) केबिल टेलीविजन का मालिक प्रत्येक मास के अंतिम तीन दिन के भीतर उप नियम-1 में निर्दिष्ट रजिस्टर में की गई प्रवृष्टियों के आधार पर प्रपत्र -5 में मासिक विवरण ट्रैजरी चालान की तीन प्रतियों, जिसमें शब्द " कोषागार</p> |

प्रति" " विभागीय प्रति" " जमाकर्ता की प्रति" होंगे, के साथ जिला मनोरंजन कर अधिकारी को विवरण और लेखा शीर्षक के सत्यापन के लिए प्रस्तुत करेगा।

कर का भुगतान

11 (1) केबिल टेलीविजन का मालिक प्रवेश शुल्क का तीस प्रतिशत मनोरंजन कर की धनराशि को यथास्थिति सरकारी काराबार संकलित करने वाले भारतीय स्टेट बैंक के सरकारी लेखे या कोषागार में प्रत्येक मास के अंतिम दिन से एक सप्ताह भीतर जमा करेगा, जिसमें विफल रहने पर दो प्रतिशत प्रतिमास की दर से साधारण ब्याज देय हो जाएगा और असंदत्त धनराशि पर ऐसी धनराशि के भुगतान के दिनांक तक विहित अंतिम दिनांक के ठीक बाद आने वाले दिनांक से देय हो जाएंगी।

परन्तु जहां भुगतान चैक द्वारा किया जाता है, जो सदैव राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक पर आहरित किया जाएगा उसे इस अवधि जिससे भुगतान संबंधित है की समाप्ति से दो दिनों के भीतर यथास्थिति स्टेट बैंक या कोषागार को सौंप दिया जाएगा।

(2) केबिल टेलीविजन का मालिक कर भुगतान कर दिए जाने के ठीक पश्चात जिला मनोरंजन कर अधिकारी को कोषागार चालान संख्या और जमा करने के दिनांक की सूचना देगा और कर जमा करने के पश्चात वापस प्राप्त किए गए कोषागार चालान की जमाकर्ता की प्रति एक पत्रावली में सर्वथा कालानुक्रम में भी रखेगा और मांगे जाने पर उसे निरीक्षण अधिकारी के सामने प्रस्तुत करेगा।

प्रतिभूति की धनराशि

12— जिला मजिस्ट्रेट केबिल टेलीविजन के मालिक द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूति की धनराशि नियत करेगा, जो कि दो हजार रुपये या तीन मास का औसत कर जो भी अधिक हो से कम नहीं होगी।

प्रतिभूति जमा करने की रीति

13— अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन केबिल टेलीविजन के मालिक जिससे प्रतिभूति जमा करने की अपेक्षा की जाए वह " दो रूल्स फार दी गाइडेन्स आफ दी डिपाजिटर्स इन दी पोस्ट आफिस सेबिंग बैंक" के अनुच्छेद 45 के अधीन डाक घर में अपने ही नाम में एक प्रतिभूति जमा खाता खोलेगा और उसे जिला मजिस्ट्रेट को गिरबी रखेगा। वह इस संबंध में प्रपत्र-6 में एक बंध पत्र का निष्पादन भी करेगा। प्रतिभूमि जमा खाता और प्रतिभूति बंध पत्र की पासबुक जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें प्रतिभूति के निर्मुक्त होने तक सुरक्षा तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

प्रतिभूति से कर की कटौती

14— जिला मजिस्ट्रेट प्रतिभूति से कर के किसी बकाये की कटौती के लिए आदेश पारित कर सकता है और ऐसे आदेश की एक प्रति मालिक को दी जाएगी। ऐसा आदेश प्राप्त होने पर मालिक अगले मास का कर देय होने के पूर्व प्रतिभूति की धनराशि पूर्ण करेगा और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो जिला मजिस्ट्रेट को केबिल सेवा की व्यवस्था की अनुमति को निलंबित करने की शक्ति होगी।

प्रतिभूति की वापसी

15— जहां किसी केबिल टेलीविजन का मालिक अधिनियम या इस नियमावली के अधीन केबिल टेलीविजन का मालिक नहीं रह जाता तो जिला मजिस्ट्रेट आवेदन करने पर और अपना समाधान हो जाने के पश्चात कि उक्त

मालिक के विरुद्ध अधिनियम या इस नियमावली के अधीन कोई कर बकाया और विनिश्चय के लिए कोई मामला लंबित नहीं है प्रतिभूति को निर्मुक्त कर सकता है और मालिक को प्रतिभूति जमा धनराशि में शेष को वापस किए जाने के आदेश कर सकता है।

कर की वसूली
के लिए नोटिस

16— इस नियमावली के अधीन जहां कर के मध्ये किसी राशि का भुगतान विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी केबिल टेलीविजन के मालिक द्वारा जो भुगतान करने का दायी है नहीं किया गया है तो जिला मजिस्ट्रेट अधिनियम की धारा 34 के अधीन भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली के लिए आदेश जारी करने के पूर्व ऐसे व्यक्ति को मांग की सूचना जारी करने, उसे विनिर्दिष्ट समय के भीतर भुगतान करने के लिए कहेगा।

शक्तियों का प्रयोजन

17— अधिनियम या इस नियमावली के अधीन शक्तियों का प्रयोग संपूर्ण राज्य के संबंध में मनोरंजन कर आयुक्त द्वारा या किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिससे उक्त आयुक्त द्वारा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अधिनियम या इस नियमावली के अधीन उस समय सीमा तक और विहित रीति तक ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हों।

18— (1) अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन कोई अपील प्राधिकारी को आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ, जिसके विरुद्ध अपील की गई हो और अपील के आधार या आधारों को स्पष्ट रूप से उल्लिखित करते हुए प्रस्तुत की जाएगी। नोटिस की प्रति यदि कोई हो, प्राप्त हुई हो और नोटिस का उत्तर यदि कोई हो, दिया गया हो वो भी प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) अपील और उसके संलग्नकों की एक प्रति साथ ही साथ उस अधिकारी को जिसके आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई हो और संबद्ध जिला मजिस्ट्रेट को भी निर्दिष्ट की जाएगी, जो अपील प्राधिकारी को अपनी टिप्पणी के साथ आवश्यक अभिलेख और अन्य सूचना जैसे अपेक्षित हो भेजेगा।

(3) जहां अपील का परिसीलन करने पर अपील प्राधिकारी का समाधान हो जाए तो वह स्थाई स्थगन स्वीकृत कर सकता है और अपने आदेश की एक प्रति आयुक्त को और साथ ही संबद्ध जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा और ऐसे आदेश के प्राप्त होने पर इस मामले में उक्त किसी भी अधिकारी द्वारा कोई अग्रेत्तर कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(4) अपील पर अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किये गए अंतिम आदेश की भी एक प्रति आयुक्त एवं संबद्ध जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी और —

4.1 यदि अपील प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अपील मंजूर कर ली जाए और स्वीकृत किए गए स्थाई स्थगन की यदि कोई हो पुष्टि कर ली जाए तो मामले के संबंध में समस्त अग्रेतर कार्यवाहियां बंद कर दी जाएंगी।

4.2 यदि अपील केवल आंशिक रूप से मंजूर कर दी जाए तो अपील के अधीन आदेश अपील प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार संशोधन हो जाएगी और संशोधित आदेश के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

4.3 यदि अपील अस्वीकार कर दी जाए तो स्वीकृत किया गया स्थाई स्थगन यदि कोई हो निष्प्रभावी हो जाएगा।

नोटिस आदि
तामील करने
की रीति

19— अधिनियम या इस नियमावली के अधीन कोई नोटिस या आदेश उसे जारी करने वाले अधिकारी द्वारा निम्नलिखित किसी भी प्रकार से तामील किया जाएगा—

19.1 उसे संबद्ध व्यक्ति को उसके कार्यभार के स्थान पर निवास स्थान के पते पर डाक में डाले जाने के प्रमाण पत्र के अधीन या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजकर।

19.2 उसे संबद्ध व्यक्ति को या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रबन्धक या अभिकर्ता को या यदि उपर्युक्त कोई व्यक्ति उपलब्ध न हो तो उसके किसी भी व्यस्क सदस्य को व्यक्तिगत रूप से देकर।

19.3 उसे संबद्ध व्यक्ति के अंतिम ज्ञात कारबार के स्थानीय निवास स्थान के किसी सहज दृश्य स्थान पर चिपकाकर।

निरीक्षण पुस्तिका

20 केबिल टेलीविजन का मालिक एक निरीक्षण पुस्तिका रखेगा और विभिन्न निरीक्षण अधिकारियों द्वारा अभियुक्त लिखने के लिए मांग किए जाने पर उसे तुरन्त प्रस्तुत करेगा। निरीक्षण पुस्तिका में सौ पृष्ठ होंगे, जो क्रमांकित होंगे और जिला मनोरंजन कर अधिकारी से अधिप्रमाणित कराने के पश्चात उपयोग में लाया जाएगा, जब कोई निरीक्षण पुस्तिका निशेचित हो जाए तब एक नई निरीक्षण पुस्तिका को उपर्युक्त प्रकार से अधिप्रमाणित कराने के पश्चात उपयोग में लाया जाएगा और पूर्व पुस्तिका को संबद्ध जिला मजिस्ट्रेटों को उनकी रसीद प्राप्त करने के पश्चात जिसे नई निरीक्षण पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर चिपकाया जाएगा अभिलेख के लिए अभ्यर्पित कर दिया जाएगा।

आज्ञा से
ह0/—
(हरीश चंद्र गुप्त)
प्रमुख सचिव

संख्या—1670(1)/11—क0स0वि0—97 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि— अधिनिसूचना की अंग्रेजी रूपान्तरण की एक प्रति सहित संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 24.9.97 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग—4 खंड (ख) में प्रकाशित करने हेतु। यह भी अनुरोध है कि इस अधिसूचना की पुफ रीडिंग प्रेस द्वारा स्वयं ही करा ली जाए तथा मुद्रित अधिसूचना की प्रतियां निम्नलिखित को उनके नाम के सम्मुख अंकित संख्या में प्रेस द्वारा सीधे भेज दी जाए।

- | | |
|---|---------------|
| 1— कर एवं स्थागत वित्त अनुभाग—6 उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ। | 1000 प्रतियां |
| 2— मनोरंजन कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन लखनऊ। | 500 प्रतियां |
| 3— समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश। | 20 प्रतियां |

आज्ञा से
ह0/—
(हरीश चंद्र गुप्त)
प्रमुख सचिव

क०सं०-399 (क)

रजि०जे०एस०डब्लू० / एम०पी०८९०
लाईसेंस नं० डब्लू पी-४१
लाईसेंस टू पोस्ट एंड कंसेशनल से
सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-४ खंड (ख)

(परिनियम आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, २१ अक्टूबर, १९९७

आश्विन २९, १९१९ शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कर एवं स्थागत वित्त अनुभाग-६

संख्या-१७८१/११ क०स०वि०-६-९७ तीस-ई०बी० ८(२०)-८६

लखनऊ, २१ अक्टूबर, १९९७

अधिसूचना

प०आ०.....८७०

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, १९५५ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३ सन् १९५६) की धारा १३ के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सिनेमाटीग्राफ रूल्स १९५१ की संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश सिनेमाटीग्राफ (तेईसवां संशोधन) नियमावली १९९७

१- (१) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सिनेमाटीग्राफ

(तेईसवां संशोधन) नियमावली १९९७ कही जाएगी।

संक्षिप्त नाम

(२) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त

और प्रारंभ

होगी।

२- उत्तर प्रदेश सिनेमाटीग्राफ रूल्स १९५१ में नियम ३९ के नीचे स्तंभ -१ में दिए गए खंड (एक) के स्थान पर स्तंभ-दो में दिया गया खंड रख दिया जाएगा।

| स्तंभ-१ | स्तंभ-२ |
|---|---|
| वर्तमान खंड | एतद् द्वार प्रतिस्थापित खंड |
| (एक) किसी स्थायी सिनेमा के लिए स्थायी लाईसेंस की स्वीकृति या नवीनीकरण के लिए प्रतिमास या उसके भाग के लिए पांच सौ रुपये की दर से | (एक) किसी स्थानीय क्षेत्र में स्थायी सिनेमा के लिए किसी स्थायी लाईसेंस की स्वीकृति या नवीनीकरण के लिए जिसकी जनसंख्या (क) एक लाख तक हो प्रतिमास या उसके भाग के लिए एक हजार रुपये की दर से (ख) एक लाख से अधिक हो प्रतिमास या उसके |

| | |
|--|---|
| | भाग के लिए एक हजार पांच सौ रुपये की दर से |
|--|---|

आज्ञा से
(हरीश चंद्र गुप्त)
प्रमुख सचिव
परिशिष्ट-15

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत सैन्य कैंटीनो को निर्गत एफ0एल0 9/9ए
लाईसैन्सों का विवरण

| क्र0सं0 | सैन्य कैंटीन का नाम | वार्षिक निर्धारित ला0 शुल्क |
|---------|--|-----------------------------|
| 1- | डिप्टी सी0डी0 आर0 हेडक्वार्टर 9(1)एम0 आई0 एन0 विग्रेड जी0पी0 | 120.00 |
| 2- | डिप्टी सी0डी0 आर0 हेडक्वार्टर 9(1)एम0 आई0 एन0 विग्रेड जी0पी0 | 120-00 |
| 3- | कमाण्डिंग ऑफिसर 17 गढवाल राइफल्स द्वारा 56 ए0पी0ओ0 | 120.00 |
| 4- | कमाण्डिंग ऑफिसर 17 गढवाल राइफल्स द्वारा 56 ए0पी0ओ0 | 120.00 |

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत वर्ष 2006-2007 में विदेशी मदिरा दुकानों के
अनुज्ञापियों की सूची

| क्र०सं 0 | दुकान का नाम | अनुज्ञापियों का नाम व पता | लाई०फीस | देय अधिभार |
|-------------|-----------------|---|--------------|--------------------|
| 1- | रुद्रप्रयाग | श्री हरपालसिंह पुत्र जसपालसिंह निवासी मलपुर जसपुर उधमसैहनगर । | 17.50.000.00 | 1.21.72.323. 00 |
| 2- | ऊखीमठ | श्रीमती सुमन पत्नी श्री मोहन विष्ट निवासी खुपाताल नैनीताल। | 10.50.000.00 | 44.39.394.00 |
| 3- | इन्द्रनगर | श्री जयप्रकाश जुयाल निवासी भारुवाना क्लेमटाऊन देहरादून। | 7.00.000.00 | 21.94.285.00 |
| योग | | | 35.00.000.00 | 1.88.06.002. 00 |

मैनुअल संख्या- 14

किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के सम्बंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों :-

राज्य सरकार के अथक प्रयासों से आज उत्तराखण्ड ने अल्प समय में ही सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश में अग्रणी स्थान बना दिया है। इक्कीसवीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए सूचना क्रांति के वर्तमान युग में उत्तराखण्ड सरकार ने कम्प्यूटर व आई0टी0 तकनीकी को सरकारी कार्यालयों, विभागों, स्कूल, कालेजों के साथ-साथ सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचा दिया है।

सरकारी कामकाज में शीघ्रता लाने और आम आदमी तक विकास योजनाओं को सुगमता से पहुंचाने के लिए ई-गवर्नेंस की व्यवस्था लागू की गई है। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजनाओं का निरन्तर अनुश्रवण कर इन योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई गई है। सरकारी कार्यालयों और अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है।

जिला कार्यालय, रुद्रप्रयाग में इलैक्ट्रॉनिक रूप से सूचना उपलब्ध कराने के लिए निम्नवत् व्यवस्था उपलब्ध है:-

1- कम्प्यूटर सुविधा :-

जिला कार्यालय के सभी कक्षों में कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध है। कार्यालय के विभिन्न कक्षों में वर्तमान में कुल 21 कम्प्यूटर स्थापित किए गए हैं तहसील रुद्रप्रयाग, तहसील ऊखीमठ व तहसील जखोली में प्रति तहसील में चार-चार कम्प्यूटर जिला अधिष्ठान से तथा भूलेख अधिष्ठान से तहसील रुद्रप्रयाग व तहसील ऊखीमठ में 03-03 तथा तहसील जखोली में 02 कम्प्यूटर उपलब्ध हैं। कार्यालय के समस्त कार्य कम्प्यूटर से ही सम्बंधित

पटल सहायकों द्वारा सम्पादित किए जाते हैं तथा खैतीनी नकल कम्प्यूटर के माध्यम से दी जाती हैं ।

जिला कार्यालय, रुद्रप्रयाग में स्थापित कम्प्यूटरों में निम्नवत् ब्यौरें उपलब्ध हैं:-

1- संग्रह कक्ष :-

- 1.1 राजकीय एवं विविध देयों की मांग एवं वसूली के ब्यौरे ।
- 1.2 दस हजार रुपये से अधिक धनराशि के बकायेदारों की सूची ।
- 1.3 संग्रह अधिष्ठान से संबंधित पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक एवं अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक विवरण पत्र ।
- 1.4 सीजनल संग्रह अमीनों की मासिक वसूली कारगुजारी ।
- 1.5 दैवीय आपदाओं से संबंधित समस्त घटनाओं, राहत तथा परिसंपत्तियों तथा मरम्मत/पुनर्निर्माण संबंधी विवरण ।
- 1.6 दैनिक वर्षा के आंकड़े तथा कंट्रोल रूम ड्यूटी विवरण ।

2- राजस्व कक्ष :-

- 2.1 मा0 मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से प्राप्त अनुदान ग्राहियों की सूची ।
- 2.2 मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक विवरण पत्र ।
- 2.3 चारधाम यात्रा व्यवस्था संबंधी कार्ययोजना ।
- 2.4 विभिन्न मदों में प्राप्त बजट तथा व्यय विवरण पत्र ।
- 2.5 भूमि हस्तांतरण संबंधी प्रकरणों का विवरण

3- न्यायिक कक्ष :-

- 3.1 उत्तराखंड आंदोलन के दौरान जेल में रहे तथा घायल आंदोलनकारियों की सूची ।
- 3.2 स्वतंत्रता संग्राम सैनानी/आश्रितों की सूची ।

4- आंग्ल अभिलेखागार :-

4.1 शासन एवं उच्चाधिकारियों से प्राप्त एवं निस्तारित संदर्भों का विवरण।

4.2 अनिस्तारित संदर्भों की सूची।

1.2 भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण-

जनपद के कुल ग्रामों के कुल खाता-खतौनियों को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। अब प्रत्येक खातेदार को उनकी मांग पर कम्प्यूटरीकृत खतौनी की नकल निर्धारित शुल्क जमा करने पर तहसील स्तर से उपलब्ध कराई जाती है।

2- फोटो स्टेट सुविधा-

पत्राचार तथा प्रासंगिक संदर्भों की प्रतियां निकालने के लिए जिला कार्यालय के अधिकांश कक्षों में फोटो स्टेट मशीन की सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान में जिला कार्यालय के विभिन्न कक्षों में कुल छः फोटो स्टेट मशीन जिनमें से 05 जिला अधिष्ठान के तथा 01 भूलेख अधिष्ठान की है, स्थापित की गई हैं। जनपद की प्रत्येक तहसील में भी यह सुविधा उपलब्ध है।

3- दूरभाष सुविधा :-

जिला कार्यालय रुद्रप्रयाग में दूरभाष सुविधा निम्नवत् उपलब्ध है।

3.1 दूरभाष नम्बर- 01364-कैम्प, 233281, 233376, 233253

ऑफिस:-, 233185, 233834, 233300

-

यह दोनों दूरभाष नम्बर जिलाधिकारी के कैम्प कार्यालय में स्थापित हैं। कैम्प कार्यालय में कार्यरत व्यक्ति सहायक, जिलाधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों से संपर्क किया जा सकता है।

3.2 दूरभाष नम्बर - 01364-23376,

यह दूरभाष नम्बर जिलाधिकारी के आवास पर स्थापित है।

3.3 दूरभाष नम्बर - 01364- 233185

यह दूरभाष नम्बर जिला कार्यालय के मुख्य भवन में प्रभारी अधिकारी के कार्यालय में स्थापित है।

3.4 दूरभाष नम्बर – 01364–233834

यह दूरभाष नम्बर जिला कार्यालय के मुख्य भवन में स्थापित है। इस दूरभाष नम्बर से प्रभारी अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी सहित कार्यालय में कार्यरत विभिन्न अनुभागों के प्रमुखों व पटल सहायकों से संपर्क किया जा सकता है।

3.5 फ़ैक्स नम्बर – 01364– 233380

जिला कार्यालय में फ़ैक्स नम्बर – 01372–252203 जिलाधिकारी के आवासीय कैंप पर स्थापित है।

3.6 दूरभाष नम्बर 1077

दैवीय आपदाओं के संबंध में जिला कार्यालय में परियोजना अधिकारी, आपदा प्रबन्ध के कार्यालय में पृथक से दूरभाष नम्बर 1077 स्थापित किया गया है, जिसमें केवल इनकमिंग सुविधा उपलब्ध है।

3.7 सैटेलाइट टेलीफोन सुविधा :-

जिला अधिकारी के आवासीय कैंप में सैटेलाइट टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है। जनपद के दूरभाष सुविधा विहीन क्षेत्रों में दैवी आपदा के दौरान एवं दूरभाष सुविधा बाधित होने पर इस सैटेलाइट टेलीफोन सुविधा का उपयोग किया जाता है।

4- वीडियो कान्फ्रेंसिंग:-

जिला कार्यालय के मुख्य भवन के कक्ष संख्या- ओ पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग हाल स्थापित किया गया है, जिसमें एन0आई0सी0 के माध्यम से समय-समय पर शासकीय एवं विकास कार्यों की समीक्षा की जाती है।

5- जिला सूचना विज्ञान केंद्र (एन0आई0सी0) :-

जिला कार्यालय मुख्य भवन के कक्ष संख्या- जी व एच में जिला सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है, जिसका संचालन जिला सूचना विज्ञान अधिकारी द्वारा किया जाता है।

6- इन्टरनेट :-

जनपद में V-SAT के माध्यम से इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध है जिससे इन्टरनेट में उपलब्ध आवश्यक व उपयोगी सूचनाओं को समय-समय पर एकत्रित किया जाता है। इस V-SAT के माध्यम से रुद्रप्रयाग (बेला)में स्थित समस्त जिलास्तरीय कार्यालयों को जोड़ने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि विभिन्न विभागों के बीच सूचना का आदान-प्रदान तेजी व त्रुटिरहित ढंग से किया जा सके।

7-ई-मेल :-

ई-मेल के माध्यम से समय-समय पर शासन से निर्देश प्राप्त करने के साथ ही आवश्यक सूचनाओं का आदान-प्रदान भी किया जाता है।

7- वर्षामापी यन्त्र :-

यह वर्षामापी यंत्र तहसील रुद्रप्रयाग ,तहसील जखोली व तहसील ऊखीमठ में स्थापित किया गया है। इस स्वचालित वर्षामापी यन्त्र से वर्षा का ऑकलन प्राप्त होता है।

मैनुअल संख्या- 15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनके अंतर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं :-

जिला कार्यालय के संगठन, कृत्यों, दायित्वों, विशिष्टियों, दस्तावेजों, अधिकारियों/कर्मचारियों आदि का पूर्ण विवरण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अंतर्गत तैयार विभागीय मैनुअल संख्या-1 से 14 तथा 16 में दिया जा चुका है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को जिला कार्यालय (राजस्व विभाग) जनपद रुद्रप्रयाग में निम्नवत् सुविधायें अनुरक्षित की गई हैं:-

1- जिला कार्यालय के आम स्थान पर सूचना पट्ट लगाया गया है, जिसमें विभागीय लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पते तथा दूरभाष नंबर अंकित कर प्रकाशित किए गए हैं।

2- कार्यालय के प्रत्येक कक्ष पर नंबर अंकित कर अनुभागों, अधिकारियों के बोर्ड लगाए गए हैं तथा प्रत्येक पटल पर पटल सहायकों की नामपट्टिका (Name Plate) रखी गई है, ताकि नागरिकों को अनुभागों, पटलों, अधिकारियों व कर्मचारियों के संबंध में सरलता से जानकारी हो सके।

3- लोक सूचना अधिकारी तथा सहायक लोक सूचना अधिकारियों के कार्यालय कक्ष के बाहर आम जनता से मिलने के समय का बोर्ड लगाया गया है।

4- जिला कार्यालय के कक्ष संख्या- में कार्यालय का पुस्तकालय स्थापित है तथा जिसमें विभिन्न प्रकार के शासकीय गजट, कोड(Code), मैनुअल, अधिनियम, नियमावलियां, प्रपत्र उपलब्ध हैं। जिला कार्यालय में प्राप्त होने वाले दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं को अधिकारियों/ कर्मचारियों के उपयोगार्थ रखा जाता है। जिलाधिकारी के न्यायलय कक्ष के पास में स्थित हाल में वाचनालय है व इसी हाल को वर्तमान में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को सुलभ कराया गया है

5- जिला कार्यालय प्रत्येक कार्यदिवस को सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक खुला रहता है। इसी प्रकार जिला कार्यालय का पुस्तकालय/वाचनालय भी प्रत्येक कार्य दिवस को प्रातः दस बजे से शाम पांच बजे तक खुला रहता है। यद्यपि वर्तमान में नागरिकों के लिए उपलब्ध उपरोक्त सुविधा पर्याप्त नहीं है तथापि निकट समय में इसके विस्तारीकरण तथा सुदृढीकरण के पूर्ण प्रयास किए जाएंगे।

मैनुअल संख्या 16-

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां।

जिला स्तर पर इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु राजस्व विभाग के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों को निम्नवत् नामित किया गया है:-

जिलाधिकारी कार्यालय-

- | | |
|------------------------------|---|
| (1) लोक सूचना अधिकारी- | जिला अधिकारी। |
| (2) सहायक लोक सूचना अधिकारी- | 1-उपजिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग । 2-उपजिलाधिकारी, जखोली । 3-उपजिलाधिकारी, ऊखीमठ । |
| (3) विभागीय अपीलीय अधिकारी- | आयुक्त, गढ़वाल मण्डल। |

उप जिला अधिकारी कार्यालय :-

उप जिला अधिकारी रुद्रप्रयाग -

लोक सूचना अधिकारी -
अपीलीय अधिकारी-

उपजिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

उप जिला अधिकारी जखोली-

लोक सूचना अधिकारी -
अपीलीय अधिकारी-

उपजिलाधिकारी जखोली।
जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

उप जिला अधिकारी ऊखीमठ-

लोक सूचना अधिकारी -
अपीलीय अधिकारी-

उपजिलाधिकारी ऊखीमठ।
जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

तहसील स्तर पर :-

तहसील रुद्रप्रयाग-

लोक सूचना अधिकारी -
अपीलीय अधिकारी-

तहसीलदार, रुद्रप्रयाग ।
उपजिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

तहसील जखोली-

लोक सूचना अधिकारी -
अपीलीय अधिकारी-

तहसीलदार, जखोली।
उपजिलाधिकारी, जखोली।

तहसील ऊखीमठ—
लोक सूचना अधिकारी —
अपीलीय अधिकारी—

तहसीलदार, ऊखीमठ।
उपजिलाधिकारी, ऊखीमठ।

मैनुअल संख्या-17

जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट द्वारा राजस्व विभाग के कार्यों के अतिरिक्त निम्नवत् अन्य विभागीय कार्य पदेन के रूप में सम्पादित किए जाते हैं :-

1- लोक सभा, विधान सभा के सामान्य निर्वाचन तथा उप निर्वाचनों का संचालन :-

संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड (1) में वर्णित व्यवस्था के अनुसार संसद और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के समस्त निर्वाचनों के संचालन का दायित्व भारत निर्वाचन आयोग में निहित है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों के संचालन के बारे में जारी समेकित निर्देश 1976 के अनुसार जिले का जिला मजिस्ट्रेट / उपायुक्त / जिला कलक्टर / जिलाधिकारी (चाहे वह प्रत्येक राज्य में किसी भी पदनाम से जाना जाता है) जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया जाएगा और उससे निम्न पद पर आसीन कोई भी व्यक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में पदाभिहित नहीं किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी का जनपद में विधि अनुसार स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक निर्वाचन संपन्न कराने का दायित्व होता है।

2- पंचायत एवं स्थानीय निकाय के चुनावों का संचालन :-

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 245-क/ग्रा0वि0 अर्द्ध शा0/पंचायतीराज/2001 दिनांक 30.7.2001 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के 73 वें एवं 74 वें संशोधन के अनुसार उ0प्र0 पंचायत विधि अधिनियम 1974 एवं उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन अधिनियम 1994 के अंतर्गत प्रदेश की पंचायतों / स्थानीय निकायों के चुनाव कराने हेतु समस्त जिला अधिकारियों को उनके जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं स्थानीय निकाय) नियुक्त किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी उपरोक्त अधिनियमों के अंतर्गत अपने जिलों में प्रदेश की पंचायतों / स्थानीय निकायों के चुनाव विधि के अनुसार सम्पन्न कराते हैं और चुनाव पूर्व चुनाव प्रक्रिया की तैयारी भी सुनिश्चित कराते हैं।

3- जिला निबन्धक कार्यालय :-

उत्तर प्रदेश सरकार कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग-5 , लखनउ के द्वारा जारी अधिसूचना सं0-क0स0वि0-5-3770/11-98-218(16) /97 दिनांक 04 सितम्बर 1998 के द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग में निबन्धन कार्यालय स्थापित किया गया है । जिला निबन्धन कार्यालय,रुद्रप्रयाग के पदों का सृजन नहीं हुआ है ।

नव सृजित जनपद रुद्रप्रयाग अन्तर्गत सब रजिस्ट्रार ऊखीमठ का कार्यालय आता है । जो कि जनपद सृजन से पूर्व जनपद चमौली में था ।

तहसील रूद्रप्रयाग एवं तहसील जखोली में सब रजिस्ट्रार का कार्यालय नहीं है । महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं०-755/स्टा० एवं रजि०-2002 दिनांक मई 27, 2002 के द्वारा निर्देश निर्गत हैं पदों के सृजन होने तक तहसील रूद्रप्रयाग एवं तहसील जखोली की भूमि से सम्बन्धित विलेखों के निबन्धन की कार्यवाही जिला निबन्धनक रूद्रप्रयाग में की जाये । तहसील रूद्रप्रयाग व तहसील जखोली में उप निबन्धन का कार्यालय के पदों का सृजन न होने के कारण वर्तमान में उक्त दोनों तहसीलों के भूमि से सम्बन्धित विलेखों के निबन्धन की कार्यवाही जिला निबन्धन कार्यालय, रूद्रप्रयाग से सम्पादित किया जा रहा है ।

महानिरीक्षक निबन्धन उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की अधिसूचना संख्या-4380- XIV- 115 ए दिनांक 24 मार्च 1976 के अनुसार उत्तर प्रदेश के पर्वतीय इलाकों के समस्त तहसीलदारों को 1/4/1976, जहां विभागीय उप निबन्धक कार्यालय हैं, को छोड़कर पदेन सब रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है ।

रजिस्ट्रीकरण का उद्देश्य और कारण यह है कि किसी विशिष्ट समस्या के प्रकटीकरण अथवा प्रयोजन की बाध्यताओं और विधिक अधिकार संबंधी तथ्यों से लोगों को संसूचित रखने के लिए लोक रजिस्ट्रीकरण की रीति को उपबन्धित रखा जाये तथा यह भी कि अभिलेखों का विधि सम्मत रख-रखाव कायम रहे, जो कि आगे आने वाले समय के लिए एक विधिक महत्व का परिचायक हो और यह भी कि किसी छल कपट की अधिसंभावनाओं से मुक्ति प्रदान करायी जा सके अथवा वह व्यक्ति जो सम्पत्ति का धारक नहीं है उससे खरीददारी करने में होने वाले धोखाधड़ी से बचा जा सके ।

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 68 के अनुसार प्रत्येक उप रजिस्ट्रार अपने पद के कर्तव्यों का उस जिले के रजिस्ट्रार के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन पालन करेगा, जिसमें ऐसे उप रजिस्ट्रार का कार्यालय स्थित है ।

रजिस्ट्रार को यह प्राधिकार होगा कि वह (चाहे परिवार पर या अन्यथा) इस अधिनियम से संगत कोई भी ऐसा आदेश निकाले जैसा वह अपने अधीनस्थ किसी भी रजिस्ट्रार के किसी भी कार्य या लोप के बारे में या ऐसी पुस्तक या कार्यालय विषयक, जिसमें कोई भी दस्तावेज रजिस्ट्रीकृत की गई है, किसी भी गलती की परिशुद्धि के बारे में ठीक समझे ।

4- जनगणना कार्य :-

जनगणना भारतीय संविधान के निर्देशात्मक सिद्धान्तों के अंतर्गत जनगणना कार्य निष्पादित कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है । जनगणना अधिनियम की धारा 4 (2) के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में जिले के जिला मजिस्ट्रेट को प्रमुख जनगणना अधिकारी, अपर जिला अधिकारी को जिला जनगणना अधिकारी उप जिलाधिकारी सब डिविजन जनगणना अधिकारी तथा समस्त तहसीलदार एवं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को चार्ज अधिकारी नियुक्त किया जाता है । जिले में जिला अधिकारी जनगणना कार्य को चक्र की धुरी के रूप में समयानुसार संचालन/निष्पादन करवाते हैं ।
